SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

रश्मि

35 वाँ अंक

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II

महाराष्ट्र, नागपुर

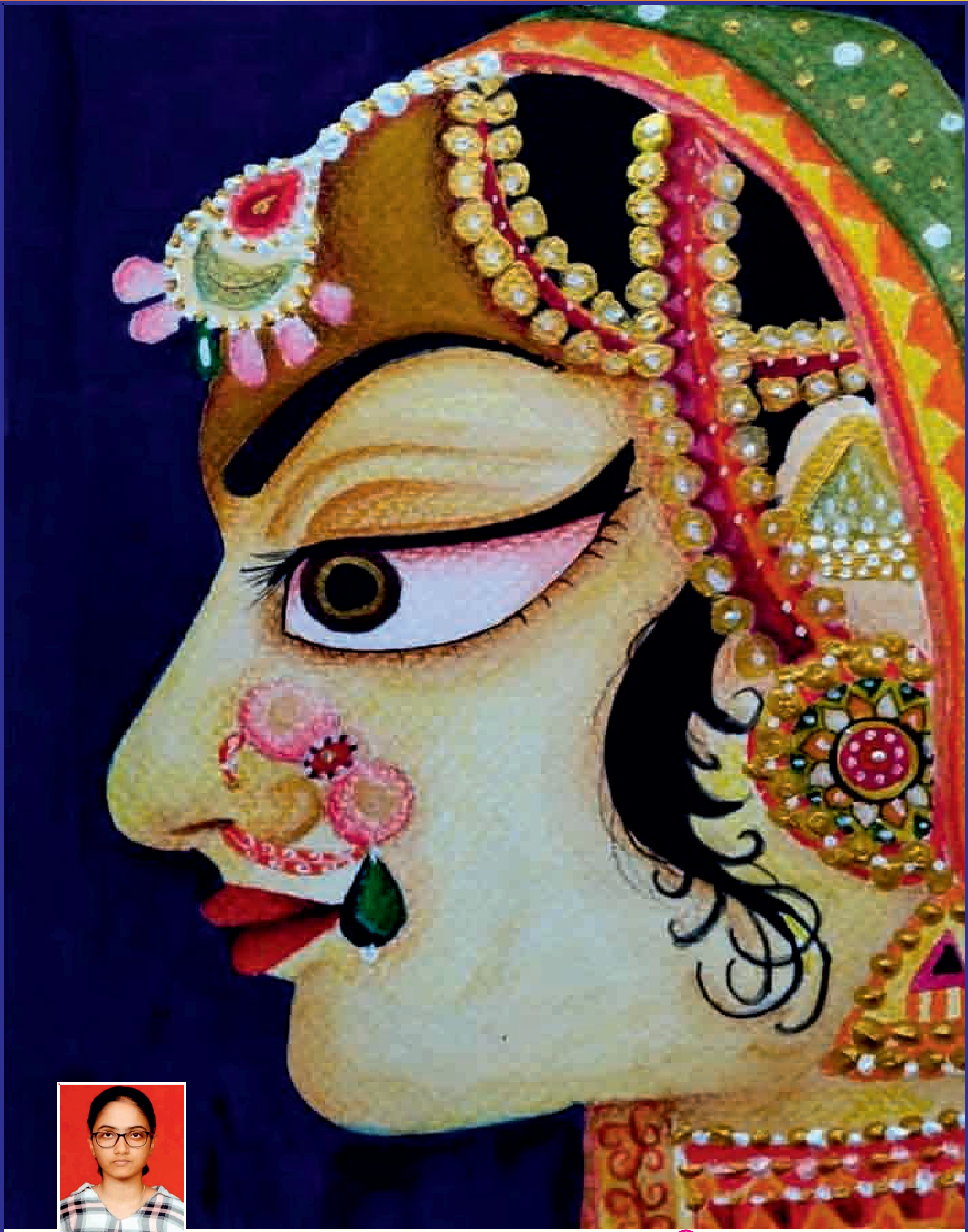

सुश्री प्रियमवदा सुधीर कुमार
पुत्री, श्री सुधीर कुमार,
स.ले.प.अ.

मुख पृष्ठ का परिचय

मुख पृष्ठ का छायाचित्र, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के पास, समुद्री किनारे से सूर्योदय के समय, शाखा कार्यालय, मुंबई में पदस्थ सुश्री ईशी सिन्हा, स.ले.प.अ. द्वारा अपने कैमरे में कैद किया गया था।

संरक्षक की कलम से...

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' के 35 वें ई-अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है। कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' के एक और नूतन अंक का सफल विमोचन इस बात का प्रमाण है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रभावशाली है। साहित्य की विविध विधाओं से ओतप्रोत यह अंक कार्यालय के कार्मिकों की साहित्यिक रुचि को दर्शाता है।

हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' कार्यालय के कार्मिकों के साहित्यिक एवं रचनात्मक भावों को परिलक्षित करते हुए उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, साथ ही उनके सामूहिक प्रयास से राजभाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है ।

''रश्मि'' के 35 वें अंक के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल तथा सभी रचनाकार प्रशंसा तथा बधाई के पात्र हैं । मैं यह कामना करता हूँ कि ''रश्मि'' का प्रत्येक आगामी अंक सफलता के नए आयाम स्थापित करता रहे ।

आर. तिरुपति वेंकटसामी
महालेखाकार

रश्मि परिवार

संरक्षक
श्री आर. तिरुपति वेंकटसामी
महालेखाकार

मार्गदर्शक
श्री नरेश कुमार मन्ने
राजभाषा अधिकारी
एवं उप-महालेखाकार (प्रशासन)

✦ **समीक्षा समिति**

श्री आर. के. मंथापुरवार, व.ले.प.अ.

श्रीमती रिंकू सिन्हा, स.ले.प.अ.

✦ **संपादक**

श्री वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

✦ **संपादन सहयोग**

श्री राजेश कुमार कटरे, वरिष्ठ अनुवादक

सुश्री नीलम देवी, कनिष्ठ अनुवादक

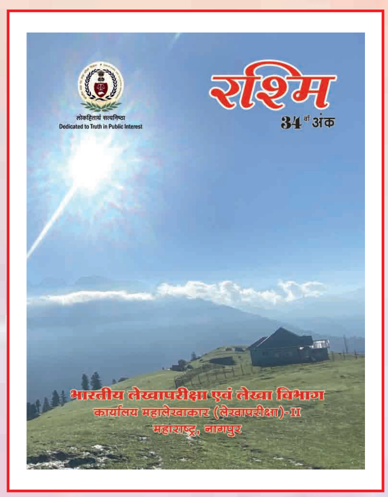

गतांक से आगे ...

अस्वीकरण : पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं, उनसे कार्यालय / संपादक मंडल अथवा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। उससे उत्पन्न किसी भी वाद की जिम्मेदारी रश्मि परिवार अस्वीकार करता है।

मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति ...

भाषा देश की सभ्यता एवं संस्कृति की वाहक होती है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ एक संपर्क भाषा भी है। हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु धीरे-धीरे वह विश्व पटल पर भी अपना स्थान बना रही है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार में कार्यालयीन हिंदी पत्रिकाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

''रश्मि'' के माध्यम से कार्यालय के कार्मिकों की रचनात्मकता का परिचय होता है तथा सभी के विचारों को जानने का मौका भी मिलता है। कार्मिकों के ज्ञान के संवर्धन के साथ-साथ यह पत्रिका उनकी साहित्यिक प्रतिभा को निखारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इस पत्रिका का निरंतर प्रकाशन इस बात को दर्शाता है कि कार्यालय के कार्मिकों का रुझान राजभाषा हिंदी के प्रति बढ़ रहा है।

मैं गृह पत्रिका ''रश्मि'' के 35 वें ई-अंक के प्रकाशन को सफल बनाने में सहयोगी सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को बधाई देता हूँ तथा इसकी प्रगति की कामना करते हुए पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

नरेश कुमार मन्ने
राजभाषा अधिकारी
एवं उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संपादकीय ...

कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' का 35 वां ई- अंक आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत है। ''रश्मि'' के प्रकाशन हेतु कार्यालय के समस्त कार्मिक अपनी- अपनी रचनाएँ प्रदान कर, राजभाषा के संवर्धन में अपना योगदान देते हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजभाषा हिंदी को और भी सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है तथा राजभाषा के प्रचार- प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया है, इससे कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में हम सफल हो रहे हैं।

''रश्मि'' के विगत अंकों पर विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से पत्रिका की गुणवत्ता को बनाए रखने में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसके लिए सभी कार्यालय धन्यवाद के पात्र हैं। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी पत्रिका प्रकाशन हेतु आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

मैं महालेखाकार महोदय, राजभाषा अधिकारी/उप-महालेखाकार (प्रशासन), समीक्षा समिति, संपादक मण्डल तथा पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी रचनाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र.	रचना / कविता	पृष्ठ क्र.
1.	गाँधीजी : कुछ अनछुए पहलू श्री आर. के. चौबे	1
2.	माँ श्री आर. के. मंथापुरवार	5
3.	दिव्य गुजरात सुश्री नीना वर्मा	7
4.	''लालच बुरी बला'' श्री अनिल कुमार	10
5.	नारी : शक्ति एक रुप अनेक श्रीमती रिंकू सिन्हा	11
6.	जीवन का सार श्री पी. एस. बोरकर	12
7.	उद्यम सुश्री चित्राली कटरे	12
8.	आखिर संगठन की आवश्यकता क्यों? सुश्री मोनिका सोनी	13
9.	बदलती दुनिया सुश्री नीलम देवी	14
10.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) श्री सुधीर कुमार	15
11.	भारत में ग्राम पंचायत श्री राजेश कुमार कटरे	16
12.	धीरे-धीरे हम आदी हो जाते हैं श्रीमती अर्चना राज चौबे	18
13.	अनुशासन- सफल जीवन का आधार श्री वसीम मिन्हास	19
14.	जीवन एक समंदर श्री शिरीष कुमार झा	20
15.	जीवन और मृत्यु में अंतर श्री रविन्द्र ब्राम्हणकर	21
16.	जीवन में कभी हार मत मानो श्री रोहित कुमार जैन	22
17.	बचत करना कितना आवश्यक श्री राम गुरबानी	23
18.	सोच मत कुछ भी, बस कार्य किए जा ... सुश्री ईशी सिन्हा	24
19.	जीवन के लक्ष्य श्री विवेक कुमार	24
20.	एक भूली हुई विरासत-हम्पी श्री ए. के. भट्टाचार्य	25
21.	एक पढ़ी लिखी घरेलु पत्नी की पति के नाम खुली चिट्ठी श्रीमती मोनिका सिन्हा	28
22.	ऊपर वाले पर भरोसा रखो सुश्री अर्पिता	29
23.	हिंदी गृह पत्रिका रश्मि के 34 वें अंक के विमोचन समारोह की झलकियाँ	30
24.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	31
25.	हिंदी कार्यशाला	32
26.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन वर्ष 2022-23	33
27.	लेखापरीक्षा के पन्नों से ...	35
28.	राजभाषा हिंदी से संबंधित संवेधानिक प्रावधान	37

गाँधीजी : कुछ अनछुए पहलू

श्री आर. के. चौबे
व. ले. प. अ.

हम आप सभी उन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से बेहतर जानते हैं, पूरा विश्व उन्हें अपना आदर्श मानता है, यहाँ तक कि तत्कालीन मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला व ओबामा सरीखे आज के दौर के नेता भी। दुनिया में संभवतः कोई ऐसा देश या प्रसिध्द व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने गांधी और उनके दर्शन को सराहा न हो। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिवस 02 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 1930 में टाइम मैगजीन ने गांधीजी को मैन ऑफ द ईयर चुना था। दुनिया के तकरीबन 80 देशों में महात्मा गांधी के नाम की सड़क हैं और अनेक देश उनकी मूर्तियाँ बनवाकर या उनके नाम का डाक टिकट जारी करके उनके प्रति अपने सम्मान भाव को दर्शाते हैं। एक आश्चर्यजनक और दिलचस्प तथ्य ये भी है की जिस ब्रिटेन सरकार से गांधीजी ने भारत को मुक्त कराया था, उसी ब्रिटेन संसद के परिसर में गांधीजी की एक भव्य मूर्ति ससम्मान आज भी है।

एक महान नेता और भारत देश की आजादी के लिए किये गए उनके कार्यों से तो अधिकांशतः परिचित ही हैं, पर आज हम यहाँ उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो आम तौर पर सामने नहीं आ पाते अर्थात गांधी जब बच्चे थे या फिर नए-नए युवा और ये भी कि असफलता और अपमान का स्वाद उन्हें राष्ट्रपिता, बापू या महात्मा बनाने में किस हद तक सहयोगी रहा।

बात शुरू करते हैं उनकी पैदाइश से ...पिता करमचंद गांधी की चार पत्नियों में से सबसे छोटी पत्नी पुतली बाई की चार संतानों एक बेटी और तीन बेटे यानि चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। पिता से उन्हें ईमानदारी, न्याय व सत्यप्रियता तथा माँ से धर्म के प्रति अटूट आस्था मिली थी। ये ऐसे विलक्षण गुण रहे जिन्होंने जीवन में न कभी गाँधी को छोड़ा और न गांधी ने उन्हें और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने इन्हीं गुणों के कारण बचपन में एक औसत छात्र होने के बावजूद भी वो दुनिया को सत्य, अहिंसा व न्याय की वो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दे गए जो आज भी एक मानक है ..एक दर्शन है।

मोहन एक शर्मीले बालक थे जिसकी वजह से तकरीबन 12 वर्ष तक कोई भी उनका अच्छा मित्र न बन सका। पहली पुस्तक जो उन्होंने पढ़ी तत्पश्चात बाइस्कोप पर देखी भी कि जिसका उनके बालमन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनकी आँखें भीग गयीं और मन भर आया वो थी, 'श्रवण पितृभक्ति' जो कि एक नाटक विधा में लिखी गयी थी और पहला खेला यानि कि नाटक जो उन्होंने देखा वो था 'हरिश्चंद्र' जिसने उन्हें बेचैन कर दिया और जिसे अपनी कल्पनाओं में उन्होंने अनेकों बार दोहराया। मनोविज्ञान कहता है कि आपके जीवन का कोई भी पहला अनुभव आप जीवनपर्यंत कभी नहीं भूलते तो बालक मोहन भी इतने उच्च कोटि के आदर्शों से गढ़े गए थे जो किस्मत से उन्हें उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही सुलभ हुए और जिसके तदनुरूप उनका समस्त जीवन रहा।

बालक मोहन का विवाह मात्र तेरह वर्ष में हो गया था ....यद्यपि कि विवाह के मध्य ही पिता गंभीर रूप से घायल हुए, पर गांधी इस सच को स्वीकारने से नहीं चूके कि वो पितृभक्त तो थे पर विषयभक्त भी थे ... आखिरकार उम्र भी तो उसी की थी वे ये भी सहज

स्वीकार करते हैं कि उनमें पत्नी को लेकर हक और इर्ष्या की भी पर्याप्त भावना थी। परिणामतः पत्नी कस्तूरबा से जो इतिहास में बा के नाम से प्रसिध्द हुयीं ,खासी अन-बन होने लगी, पर बावजूद इसके भी सामान्यतः उनका वैवाहिक जीवन सुखी था।

हाई स्कूल में पढ़ते हुए भी कि जब व्यायाम वगैरह की अनिवार्यता हुयी उन्होंने उसकी बजाय खुली हवा में टहलने को चुना क्योंकि ऐसा उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा था और इस वजह से इसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे थे और उनकी यही आदत जीवनपर्यंत रही। अपनी एक और कमी का जिक्र वे करते हैं कि स्कूली पढ़ाई के दौरान उन्होंने कभी भी अपने हस्तलेखन को कोई खास महत्त्व नहीं दिया जिसकी वजह से उसकी असुन्दरता उन्हें अक्सर लोगों के सामने शर्मिंदा करती... खासकर तब जब वे दक्षिण अफ्रीका में रहे क्योंकि वहां के उनके साथियों का हस्तलेखन बहुत सुन्दर मोतियों सा था। भाषाओँ के सन्दर्भ में उनका मानना था कि व्यक्ति को बहुभाषी होना चाहिए, खासकर मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी व अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। अन्य बच्चों की तरह मोहन को भी भूतों और चोर, सांप इत्यादि की कल्पना तक से डर लगता था.. यहाँ तक कि वे रात को भी दिया जलाकर ही सोते थे पर इसके ठीक विपरीत पत्नी कस्तूरबा किसी से नहीं डरतीं ...यहाँ तक कि भूत प्रेतों से भी नहीं... बाकियों की तो बात ही क्या पर ये मोहन के लिए खासी हेठी और शर्म का विषय रहा जिससे निजात पाने, मजबूत और निडर बनने हेतु अपने दोस्तों के उकसावे से अब वे मांसाहार की तरफ आकर्षित हुए, जो उनके वैष्णव परिवार में कठोरता से वर्जित था। अगले एक साल में तकरीबन चार-पांच बार उन्होंने इसका सेवन भी किया, पर एक तो मांसाहार और दूसरे वर्जित होने की वजह से माँ-बाप से लगातार झूठ, इस भारी अपराधबोध को वो संभाल नहीं पा रहे थे, अतः निर्णय किया कि माता-पिता के जीवित रहते वे इसका सेवन अब नहीं करेंगे ...बाद में देखा जाएगा, पर फिर जैसा कि सभी जानते हैं वो दिन दुबारा कभी नहीं आया जब उन्होंने मांसाहार को स्पर्श भी किया हो। एक और दोष से वो पीड़ित हुए ...एक रिश्तेदार की वजह से उन्हें बीड़ी पीने का शौक हुआ ...लत लगने पर पैसे की कमी होने लगी जिसके कारण घरेलू नौकर तक की जेब से पैसे चुराए ...फिर मोहन को एक किस्म की पराधीनता का भी अहसास हुआ कि वे आर्थिक रूप से निर्णयों के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? इसी सिलसिले में अपने भाई के सोने के कड़े खुद उन्हीं के साथ मिलकर बेच डाले परन्तु इस कृत्य को पचा पाना मोहन के लिए असह्य हो गया ...पर्याप्त जद्दोजहद के बाद उन्होंने इसे स्वीकारने का तय किया किन्तु मौखिक रुप से न कह पाने के साहस के कारण उन्होंने एक पत्र लिखकर पिता को थमा दिया जिसमे उन्होंने लिखा कि वो आइन्दा ऐसा कभी नहीं करेंगे और इसके लिए वो हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं बस पिता खुद को दुखी या प्रताड़ित न करें। पत्र पढ़ते ही पिता की आँखों में आंसू आ गए ...उन्होंने एक शब्द भी मोहन को नहीं कहा और पिता को बजाय क्रोध करने के, ऐसे दुखी होकर आंसू बहाता देखकर मोहन भीतर तक द्रवित हो गए और पिता के सामने बैठकर वो भी रोने लगे। एक अद्भुत दृश्य, जब पिता-पुत्र एक साथ एक ही कारण से चुपचाप आंसू बहा रहे हों.. ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों ने एक-दूसरे का मन पढ़ लिया है और एक-दूसरे का दुःख महसूस कर रहे हैं, जिसकी परिणति इन आंसुओं के रूप में हो गयी। यहाँ एक बात काबिल-ए-गौर है कि यदि चिट्ठी पढ़कर पिता मोहन को डांटते-मारते या फिर कोई कठोर दंड देते तो बालक मोहन जो आगे चलकर दया-क्षमा और विनम्रता की प्रतिमूर्ति बापू बने वो शायद न बन पाते। अच्छे संस्कारों का बीजारोपण जो बचपन में अपनों द्वारा किया जाता है वो ताउम्र आपको परिष्कृत व विनम्र बनाये रखता है, यही

बालक मोहन के साथ भी हुआ। बचपने और बढ़ती उम्र की तमाम कमजोरियां और दोष उनमें भी थे बल्कि कुछ मायनों में ज्यादा ही थे, पर सच्चाई और सत्यता के इतने गहरे संस्कार भी थे कि असंख्य गलतियों के बावजूद भी उन्होंने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा एक और घटना का ज़िक्र लाजमी है ...हालांकि माँ से मोहन को आस्था के पर्याप्त संस्कार मिले थे परन्तु फिर जो भीतर बैठा भय था वो निरंतर परेशान करता था ऐसे में घरेलू धाय यानि कि नौकरानी रम्भा का सिखाया सबक जीवन भर उनके काम आया ..रम्भा ने मोहन को समझाया कि जब भी डर लगे तो रामनाम जपो और बालक मोहन ने ऐसा ही किया ...पूरी तरह तो नहीं पर हाँ कुछ हद तक उनकी ये परेशानी दूर अवश्य हुयी... इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है जिसे ध्यान भटकाना कहते हैं ...जैसे यदि लगातार हिचकी आ रही हो और आप जबरन किसी दूसरे विषय के बारे में सोचने लगें तो हिचकी रुक जाती है पर खैर,वजह जो भी रही हो ये नुस्खा कारगर रहा और इस हद तक कि गांधी या बापू बनने पर भी आजीवन उनके साथ रहा

रामायण, भगवद गीता, मनुस्मृति इत्यादि के साथ साथ अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों और उनकी परिचर्चा का गहरा प्रभाव था मोहन पर और सभी धर्मों के प्रति गहरा सम्मान भी। ईसा के गिरी-प्रवचन का गाँधी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर गीता से उसकी तुलना कर जो निचोड़ निकलता है उसे ही गाँधी ने अपने जीवन का सूत्र बना लिया कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे उसके लिए अपना बांया गाल भी सामने कर दो। दो थियोसोफिस्ट मित्रों की संगत में गांधी ने अर्नाल्ड की बुद्धचरित पढ़ी जिससे वो खासे प्रभावित हुए। मैनचेस्टर के एक परिचित इसाई की प्रेरणा से गांधी ने बाइबिल पढ़ी पर वो खेद से कहते हैं कि इससे वो कुछ खास प्रभावित नहीं हुए पर इसके नए इकरार यानि न्यू टेस्टामेंट पर तो वो मानो रीझ ही गए। धर्म के मामले में भी उन्होंने तर्क को नहीं छोड़ा और सर्वसहमति या पूर्ण असहमति के स्थान पर उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर ही नीतियों को मान्य या अमान्य किया। परिणामतः वे जिस निष्कर्ष पर अंततः पहुंचे वो यही रहा कि त्याग में ही धर्म है।

अपनी मितव्ययिता का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं कि जब वे विलायत अर्थात लंदन पढ़ने के लिए गए तो वहां उन्होंने धन की जरूरत और उसके महत्व को भली-भांति जाना और हिसाब में खुद को पक्का किया ... यहाँ तक कि हर रात सोने से पहले वो हिसाब लिखकर बचे हुए धन से उसका मिलान कर संतुष्ट होने पर ही चैन से सोते थे। वो ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब अनेक आंदोलनों की अगुआई उन्होंने की तो इसी मितव्ययिता की आदत की वजह से उन्हें कभी धन की कमी नहीं हुयी ...उल्टा अंत में कुछ धन बच ही जाता था।

इसी तरह तमाम अनुभवों के निचोड़ से भोजन के प्रति भी उनका दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट था ....उनका मानना था कि दूध का सेवन नवजात को केवल दांत निकलने तक ही करना चाहिए और फिर चबा सकने की क्षमता प्राप्त होते ही बच्चों को अनाज खाने की आदत डाल देनी चाहिए। भोजन के सम्बन्ध में उनके प्रयोगों-उपप्रयोगों का एक पूरा क्रम चला था। इस विषय पर अपनी लज्जाशीलता का ज़िक्र करते हुए वे एक अनूठी घटना सुनाते हैं जिस पर सहज विश्वास शायद न हो (आखिर कौन मानेगा कि जिस गाँधी ने अपने भाषणों और लेखनी के ज़रिये देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई वे अपना पहला और मात्र एक फुल स्केप पेज का भाषण भी नहीं पढ़ सके थे), तो घटना इस प्रकार है कि उनके विलायत निवास के लगभग अंतिम दिनों में वो वेंटनर गए, वहां एक मजुमदार नामक सज्जन उनके सहनिवासी थे। Ethico

of Diet के लेखक भी उसी बंदरगाह पर रहते थे, उनसे मिलने के दौरान पता चला कि अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा आयोजित की जा रही है और उसमें मजुमदार सहित गांधीजी को भी बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। गांधीजी अपना एक फुल स्केप पेज का भाषण लिखकर ले गए परन्तु जब बोलने का समय आया तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए, कारण रहा उनकी घोर लज्जाशीलता और शायद कुछ हद तक आत्मविश्वास की कमी। वे कहते हैं। जब मैं पढने को खड़ा हुआ तो पढ़ न सका, आँखों के सामने अंधेरा छा गया और हाथ-पैर कांपने लगे, फिर उनकी असमर्थता को भांपकर मजुमदार महोदय ने उसे पूरा पढ़कर सुनाया।

तत्कालीन समय में विलायत पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थी आमतौर पर कम ही होते थे, उस समय ये एक चलन सा था कि वे सभी खुद को अविवाहित बताते थे, कारण शायद ये रहा होगा कि अपेक्षाकृत एक आधुनिक परिवेश में जहाँ उनके सहपाठी और मिलने-जुलने वाले उस समय तक अविवाहित ही थे, उन सबके बीच खुद का परम्परावादी, रूढ़िवादी व पिछड़ा हुआ दिखना हेठी लगता होगा तो इसी भावना से गाँधी ने भी खुद को अविवाहित ही बताया, हालांकि तब वे तकरीबन 5-6 साल से विवाहित व एक लड़के के पिता भी थे। एक रोज होटल में खाने के दौरान उनका परिचय एक अधेड़ उम्र की महिला से हुआ और फिर उनका मिलना-जुलना होने लगा ...वह महिला अक्सर सप्ताहांत में गाँधी को अपने अन्य मेहमानों के साथ खाने पर बुलातीं और सबसे उनका परिचय करवा मेल-जोल बढ़ाने को प्रेरित करतीं ...खासकर युवतियों से, ऐसे वक्त में गाँधी एक अजब संकोच में घिर जाते और मंतव्य समझ में आते ही उन्होंने एक पत्र द्वारा उनको अपनी वैवाहिक स्थिति की सत्यता लिख भेजी। वह महिला दयालु व हंसमुख थी, इसलिए उनकी मैत्री में कोई फर्क नहीं पड़ा, उलटे अब गाँधी खुलकर सबसे बात करने में खुद को ज्यादा सहज महसूस करने लगे।

सफाई के महत्व का अनुभव गाँधी को सबसे पहले प्रिटोरिया में हुआ। उन्होंने पाया कि अंग्रेजों की तुलना में भारतीय बहुत ही अस्वच्छ व अस्वस्थ तरीके से रहते हैं, इसी का परिणाम था कि गाँधी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और अपने मुल्क वापस आकर इस पर खासा जोर दिया, इतना ही नहीं बल्कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे की धारणा से परे कई बार तो वो बिना किसी को आदेश-निर्देश दिए स्वयं ही दूसरों की भी गंदगी साफ़ करने को तत्पर भाव से जुट जाते थे जिसका सकारात्मक व त्वरित परिणाम निकलता कि आस-पास के लोग भी शर्मिंदा होकर सफाई तो करते ही आइन्दा गंदगी न फैलाने का प्रण भी लेते और निभाते भी।

यद्यपि ये बस उनके शुरुआती जीवन की कुछ झलकियां ही हैं क्योंकि सच तो ये है कि गांधीजी के छोटे-छोटे प्रसंगों के बारे में ही मात्र लिखते चलें तो पूरा ग्रंथ तैयार हो सकता है और फिर भी काफी कुछ बचा ही रह जाएगा। ये कुछ ऐसा है मानो समंदर को मुट्ठी में भरने का जतन करे कोई। अतः गांधीजी की तमाम प्रसिद्ध सूक्तियों में से कुछ के साथ इसे समाप्त करता हूँ -

''आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए मानवता एक समुद्र है और यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख भी जाती हैं तो भी समुद्र मैला नहीं हो जाता।''

एक अन्य सूक्ति में वे कहते हैं ----

''ईमानदार मतभेद आमतौर पर प्रगति के स्वस्थ संकेत हैं।''

❑❑❑

माँ

श्री आर. के. मंथापुरवार
व. ले. प. अ.

माँ बच्चे का एक रिश्ता ही नहीं, होता एक पवित्र अहसास भी ।
माँ केवल बच्चे को जन्म देती नहीं, बच्चा जन्म देता है माँ को भी।
एक दूसरे से अलग होकर ऐसा अखंड रिश्ता जुड़ जाता है।
जैसे जान हो एक दूसरे की और एक दूसरे में मौजूद भी ।

माँ बनाकर ऊपर वाले ने अपना भी स्वार्थ पूरा कर लिया।
जमीं पर खुद के लिए हमेशा रहने का इंतज़ाम कर लिया।
ईश्वर देवालय में नहीं, हमारे घर घर में बसते हैं।
हम उसी को प्यार और उसी की इबादत करते हैं।

कुदरत की नियामत का ये हसीन नूर होती है।
देवालय में चढ़ने वाला कोमल फूल होती है।
सब को जोड़कर रखे ऐसी मजबूत कड़ी वही होती है।
सिमट जाए तो शीतल चाँद हैं, और बिखर जाए तो आफताब होती है।

दुःख दर्द में उसी का नाम लिया जाता है।
और उसी के नाम से कसमें भी उठाई जाती हैं।
वही है जो हमारे दिलों जाँ में बसती है।
उसी को दुनिया माँ, माता, आई, बा, बीजी बुलाती है।

बातें करने का हुनर उनसे सीखो।
मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है।
कभी कोई शिकवा नहीं शिकायत नहीं ।
अपने ही दर्द को दवा बनाती जाती है।

दिल टूटने का सबब कोई उनसे पूछो।
आँखों में आँसू भी होते हैं और दिखाती भी नहीं ।
खुद को संभालने की अदा कोई उनसे सीखो।
जलते शोलों को भीतर बुझाती भी है और बताती भी नहीं ।

घर के हर दीपक को वो दोनों हाथों से थाम लेती है।
हवाएँ कितनी भी तेज़ हो, बुझने नहीं देती है।
अपने दीपक उसे दुनिया में सबसे प्यारे लगते हैं।
हर घर की माँयें बिलकुल ऐसी ही होती हैं।

घर को नंदनवन बनाने की चाहत उसे सोने नहीं देती है।
बच्चों को खुशी देने को हर पल जूझती रहती है।
अवतार वो दूसरे जहाँ की, बोलो लगती है ना।
क्यों, आपके भी घर में माँयें ऐसी ही होती हैं ना?

सबकी चाहत को संभाले हुए रहती है।
बतलाओ उसकी चाहत को संभालेगा कौन?
कहती है उसकी ख़ामोशी जरा तू भी तो सुन ।
गर हम भी बदल गए तो तुम्हें संभालेगा कौन?

तकलीफ कम न हो तो दवा काम आती है।
दवा काम न करे तो दुआ काम आती है।
और दोनों काम न करे तो माँ नज़र उतार लाती है।
क्योंकि माँ की दुआओं में असर सीधे अर्श से आती है।

कहने को तो सारा घर उसका कहते हैं।
लेकिन सिर्फ ''चौका'' उसके हक का होता है।
डिब्बों में चावल ही नहीं, बचत के रुपये भी मिलते हैं।
''चौके'' से उसके कोई खाली पेट और खाली हाथ नहीं जाते हैं ।

जो बनाती सारा का सारा परोस देती है।
खुद के लिए केवल चटनी छोड़ा करती है।
बिना कोई तकरार, खुशियों का अभाव कभी होने नहीं देती है।
वो अन्नपूर्णा होती है जो सबका पेट भरा करती है।

हर नारी में माँ और हर माँ में नारी का जयगान सदा होता रहे।
खुशियाँ तेरे दहलीज़ की सदा बनी रहे।
अपनों से हरदम रोशन रहे तेरा सारा जहाँ।
ए माई, ''चौका'' तेरा सदा महकता रहे।

❑ ❑ ❑

दिव्य गुजरात

सुश्री नीना वर्मा
व. ले. प. अ.

कोरोनो महामारी के कारण दो साल के स्व-निर्वासित निर्वासन के बाद हमने नए ओमिक्रॉन वायरस की छाया में नागपुर से बाहर जाने का फैसला किया, इसलिए गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा इस कठिन समय के दौरान यात्रा करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी!! जहाँ हम खुद को परम शक्ति के हवाले कर दें। हमारा पहला पड़ाव था साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर आश्रम रोड से सटे अहमदाबाद, गुजरात के साबरमती उपनगर में है। यह महात्मा गांधी के कई आवासों में से एक था। साबरमती आश्रम का रख रखाव बहुत ही अच्छा है और यह बहुत ही शांत जगह है।

मोढेरा सूर्य मंदिर।

कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद यह सूर्य भगवान को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह पुष्पावती नदी के तट पर पाटन शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करते हैं, आप सबसे पहले भव्य कुंड देखते हैं जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है, जो आयताकार आकार में बना है जिसमें विभिन्न देवताओं के 108 मंदिर हैं। कुंड के तीन किनारों पर तीन मुख्य मंदिर हैं, जो गणेश और विष्णु को समर्पित हैं और भगवान शिव की एक छवि 'तांडव' नृत्य कर रही है, जो सूर्य के मंदिर के सामने है, जो चौथी तरफ है। विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करने वाले अलग अलग मंदिरों को 'कुंड' के तल तक ले जाने वाली सीढ़ियाँ सारणीबद्ध बनी हैं।

'सभा मंडप' बारह 'आदित्य' (सूर्य देव) की मूर्तियों से बनाया गया है। स्तंभों पर उकेरी गई बारह मूर्तियाँ, बारह महीनों के अनुसार सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालाँकि, गर्भगृह में सूर्य देव की कोई प्रतिमा नहीं है।

रानी की वाव

वाव गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। और इसका वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द है वाह। यह एक अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार है, और वाव की दीवारों और खंभों पर उकेरी गई पत्थर की मूर्तियां अचंभित करने वाली हैं। यह 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है, यह जमीनी स्तर से 7 मंजिल नीचे है। जो सीढ़ियाँ हमें कुएँ से नीचे ले जाती हैं वे बहुत आरामदायक हैं और नीचे उतरना आसान है। इसके अलावा जगह की सुंदरता और इसकी विशिष्टता हमें यह भूलने पर मज़बूर कर देती है कि हम इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं। यह एक विरासत स्थल है। वाव के आसपास का पूरा क्षेत्र हरा-भरा है, बेंचों के साथ बहुत सारे पेड़ आदि भी हैं । हमें गाइड ने बताया था कि लॉन में कई फिल्मों की शूटिंग की गई है।

द्वारकाधीश मंदिर (बेट द्वारका)

माना जाता है कि द्वारिकाधीश मंदिर (जगत मंदिर), भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा 2500 साल पहले स्थापित किया गया था। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा है जिस पर 50 से अधिक सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, जिसकी दीवारों पर भारी नक्काशी की गई है जो मुख्य कृष्ण की मूर्ति के साथ गर्भगृह को घेरती है। परिसर के आसपास अन्य छोटे मंदिर हैं जिनमें कई देवी-देवता हैं जो कृष्ण की पत्नियां, पुत्र, पौत्र हैं। दीवारों ने पौराणिक चरित्रों और किंवदंतियों को जटिल रूप से उकेरा है। प्रभावशाली 43 मीटर ऊंचे शिखर के

ऊपर 52 गज कपड़े से बना एक झंडा है जो मंदिर के पीछे अरब सागर से आने वाली हवा में लहराता है। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए दो द्वार (स्वर्ग और मोक्ष) हैं। एक तरफ 56 सीढ़ियां हैं और किंवदंती है कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा के 56 व्यक्ति थे। मथुरा और द्वारका मंदिर में अंतर यह है कि मथुरा में भगवान कृष्ण को बालक के रूप में पूजा जाता है और द्वारका में उन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है।

बेट द्वारका

द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप ओखा के माध्यम से पहुँचा जाता है। कहा जाता है कि द्वारका आने पर भगवान कृष्ण का यह निवास स्थान था। मुख्य मंदिर के अलावा, परिसर में अन्य देवी/देवताओं जैसे हनुमान, विष्णु, शिव, लक्ष्मी नारायण, जाम्बवती देवी आदि के मंदिर हैं। साक्षी गोपाल का एक छोटा मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जब हम बेट द्वारका जाते हैं तो साक्षीगोपाल मंदिर जाना आवश्यक होता है क्योंकि यही हमारी द्वारका यात्रा के साक्षी हैं। हमें द्वारका से ओखा तक बड़ी नाव से जाना था, जिसमें एक समय में 200 से अधिक लोग सवार थे, हम द्वारका से शाम 5 बजे तक निकले और बेट द्वारका पहुंचे, द्वारका मंदिर तक की यात्रा बहुत सुखद है। समुद्री पक्षी भोजन की तलाश में इधर-उधर उड़ते रहते हैं और लोग उन्हें दाना डालते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए अनुशासन की थोड़ी बहुत कमी है, सभी लोग नाव से उतरकर मंदिर की ओर भागते हैं और मंदिर के अंदर बहुत भीड़ हो जाती है। हालांकि मंदिर बहुत खूबसूरत है। द्वारका से ओखा तक एक समुद्री पुल निर्माणाधीन है; संभवत: इस पुल के बनने के बाद नाव की सवारी का आनंद खत्म हो जाएगा।

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। यह एक भूमिगत गर्भगृह में दुनिया के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैठे हुए भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति और तालाब के साथ एक बड़ा बगीचा इस शांत जगह के प्रमुख आकर्षण हैं।

सोमनाथ

मंदिर और इसके आस-पास का क्षेत्र विशाल और बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर आरामदायक बेंचों का निर्माण किया गया है जहाँ से हम नीचे समुद्र की झलक देख सकते हैं। दर्शन की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। रात 8 बजे से रात 8.35 बजे तक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है, जिसके लिए टिकट शाम की आरती के बाद मंदिर परिसर में बने काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रकाश व्यवस्था के कारण शाम के समय सोमनाथ मंदिर बहुत ही भव्य दिव्य दिखता है। मंदिर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है और एक लॉकर में सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मुख्य सोमनाथ मंदिर के पास एक और शिव मंदिर है जिसका निर्माण अहिल्या बाई होल्कर ने करवाया था।

भालकाजी मंदिर

भालकाजी मंदिर के बारे में किंवदंती है कि भगवान कृष्ण यादव वंश के पतन से बहुत परेशान थे और इससे दुखी होकर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने पैर पर बायाँ पैर रखकर बैठ गए और योग साधना में लीन हो गए; कृष्णजी के पैरों को हिरण का चेहरा समझकर एक शिकारी ने तीर चलाया जो भगवान कृष्ण के पैरों में फंस गया, शिकारी भगवान कृष्ण के पास आया और क्षमा मांगी लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह ऐसा चाहते थे और इस तरह

उनका कृष्ण अवतार समाप्त हो गया। इस मंदिर में कृष्ण की मूर्ति अलग है; यहाँ भगवान कृष्ण को अपने पैरों को फैला कर आराम करते हुए दिखाया गया है और भील (शिकारी) उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं।

गिर वन

ससन-गिर सोमनाथ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। हमने दोपहर की सफारी बुक की थी जो दोपहर 3 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे समाप्त होती है। एशियाई सिंह, तेंदुआ, सर्प, चील और हिरणों के झुंड, नील गाय और कई पक्षियों को हम देख पाये। कलमेश्वर बांध में मगरमच्छ भी हैं। पूरा जंगल छोटी-छोटी बहने वाली धाराओं, विशाल बरगद के पेड़ों के साथ सुरम्य है और बांध के कारण बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता जुड़ जाती है। जंगल में एशियाई सिंह को अपने पूरे आकर्षण में देखना सपना सच होने जैसा था।

पाठक सोच रहे होंगे कि गिर वन दिव्य कैसे हो सकता है!! हालांकि यह शब्द के सही अर्थ में दैवीय नहीं हो सकता है, लेकिन यह जंगल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जंगलों से बहुत अलग है और पानी की प्रचुरता और बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के कारण जंगल बहुत ही हरा भरा है।

उपरोक्त के अलावा हम अक्षर धाम, हाटे सिंह जैन मंदिर, सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर (महात्मा गांधीजी का जन्म स्थान/हवेली, अब संग्रहालय के रूप में संरक्षित) भी गए।

पुनश्च: द्वारका और सोमनाथ मंदिरों को दिन और रात दोनों समय देखा जाना चाहिए क्योंकि अलग-अलग समय पर भव्यता अलग-अलग होती है।

❑ ❑ ❑

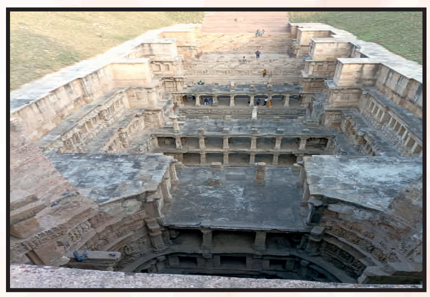

"लालच बुरी बला"

श्री अनिल कुमार
क. अनुवादक
शाखा कार्यालय, मुंबई

एक गाँव में एक गरीब पति-पत्नी रहते थे। पति प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। वह मजदूरी करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करता था। गाँव के बाहर कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, उस पर सुन्दर हरियाली तथा पेड़ थे। वह व्यक्ति रोज उस पहाड़ी पर काम के दौरान पेड़ की छाँव में भोजन करने जाता था। उसी पहाड़ी पर एक शेर की आकृति बनी हुई थी जिसका मुँह खुला हुआ था, वह व्यक्ति जब भी खाना खाता तो उस पत्थर की आकृति के शेर के मुँह में भी भोजन रख दिया करता था और शेष वह स्वयं खा लेता था। इस तरह यह रोज होता रहा और उसने पत्थर के शेर से दोस्ती कर ली।

एक दिन वह खाना खा रहा था, जब उसने खाने का निवाला उस शेर के मुँह में रखा तो शेर के अन्दर से आवाज आयी कि मेरे दोस्त मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम मुझे रोज खाना खिलाते हो, मैं तुमको अपनी तरफ से आश्चर्य उपहार (सरप्राइज गिफ्ट) देना चाहता हूँ। कल मेरे पास सूर्योदय के पहले आना तब मैं आपको बताऊँगा क्या करना है? वह व्यक्ति वापस घर आया और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बतायी। पत्नी कहने लगी हम गरीबों को कौन उपहार देगा फिर भी चले जाओ शायद कुछ चमत्कार हो जाए।

दूसरे दिन वह किसान सूर्योदय के पहले उस पहाड़ी पर गया तब उस शेर ने उस व्यक्ति को बताया मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पेट में बहत सारा सोना है, तुम मेरे मुँह में हाथ डालकर जितना तुम्हें चाहिए निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा मुँह सात बजे सूर्यास्त होते ही बंद हो जायेगा उसके पहले जितना चाहो सोना निकाल सकते हो, यदि सूर्योदय के बाद हाथ मेरे मुँह में रहा तो मुँह बंद हो जायेगा और तुम हाथ निकाल नहीं पाओगे। तो अब जल्दी से सोना निकालो। व्यक्ति ने शेर के मुँह में हाथ डाला और सोना निकाला और जितना जरुरत थी निकाल लिया। शेर फिर बोला और निकाल लो मेरे दोस्त अभी भी सूर्यास्त में समय है, लेकिन व्यक्ति ने कहा मेरे लिये इतना काफी है। और वह अपने घर लौट आया, अब उसकी जिन्दगी अच्छी तरह चलने लगी। गाँव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया और यह बात पूरे गाँव में फैल गयी, धीरे-धीरे ये बात उस गाँव के सबसे अमीर व्यक्ति के कानों में पड़ी वह किसान के पास आया और उसने किसान से पूछा तो किसान ने ईमानदारी से सारी बात सच-सच बता दी।

अमीर व्यक्ति और अमीर बनना चाहता था, वह गरीब व्यक्ति का चोला पहनकर उस पहाड़ी पर जाने लगा और शेर को खाना खिलाने लगा। एक दिन शेर ने उससे भी वही बात कही कि कल सुबह सूर्योदय के पहले मेरे पास आना और मेरे पेट से जितना चाहो सोना निकाल लेना, लेकिन ध्यान रहे सात बजे सूर्यास्त होते ही मेरा मुँह बन्द हो जायेगा। वह अमीर व्यक्ति घर गया और दूसरे दिन सूर्योदय के पहले बड़े-बड़े थैले लेकर पहुँच गया।

शेर ने कहा ठीक है मेरे दोस्त तुम सोना निकाल लो। उस अमीर व्यक्ति ने बहुत सारा सोना निकाल लिया और अपने बड़े-बड़े थैले भर लिये। उसने सोचा अभी सूर्यास्त होने में थोड़ा समय है और निकाल लेता हूँ और यह करते हुए समय का ध्यान नहीं रहा तथा सूर्यास्त हो गया और जैसा शेर ने चेतावनी दी थी,

सूर्यास्त होते ही शेर का मुँह बंद हो गया तथा अमीर व्यक्ति का हाथ उसके मुँह में फंस गया। उसने हाथ छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा, वह रोते हुए पछताने लगा, काश मैंने लालच न किया होता।

इस छोटी से कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को अधिक लालच नहीं करना चाहिये, जितनी आवश्यकता हो उतने में ही खुश रहना चाहिये और संतोष कर लेना चाहिये।

इसीलिए कहा गया है ''लालच बुरी बला''।

❑ ❑ ❑

नारी : शक्ति एक रुप अनेक

श्रीमती रिंकू सिन्हा
स. ले. प. अ.

कोमल है कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है।

हाँ मैं एक नारी हूँ, ईश्वर की सुन्दरतम रचनाओं में से एक। 'धरती' सी सहनशक्ति है मुझमें तो 'अग्नि' सा तेज भी है, 'लहरों' सी चंचलता है मुझमें तो 'आँधी' सा वेग भी है, 'झील' सा ठहराव है मुझमें तो 'नदी' सा प्रवाह भी है, 'कली' सी कोमल हूँ मैं तो 'चट्टान' सी दृढ़ भी।

जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर मैंने ही सभ्यता और संस्कृति का रुप निखारा है, मेरा अस्तित्व ही सुन्दर जीवन का आधार है।

मैं ही 'माँ' हूँ, मैं ही बहन हूँ, 'पत्नी' भी मैं हूँ तो प्रेयसी भी मैं ही हूँ। 'माँ' से लेकर 'पुत्री' तक हर रुप में मैं पुरुषों का प्रेम व संबल बनती आयी हूँ। फिर भी मुझे दु:ख होता है यह देखकर कि समाज में जिस ओहदे व सम्मान की मैं हकदार हूँ वो मुझे आज तक नहीं मिला। जबकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है - यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है वहीं देवताओं का भी निवास होता है।

नारी प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस है। हर जीवन की वो ही आधार है, नफरत की इस दुनिया में बस वही प्यार है। वह सिर्फ एक दिन (महिला दिवस के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए बहुत 'खास' है।)

इसलिए
अपमान मत करना नारियों का,
इनके बल पर जग चलता है।
पुरुष जन्म लेकर तो ....
इन्हीं की गोद में पलता है।

(अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी नारियों को समर्पित)

❑ ❑ ❑

जीवन का सार

श्री पी. एस. बोरकर
व. ले. प.

प्रतिकूल परिस्थितियों से कुछ व्यक्ति टूट जाते हैं जबकि कुछ अन्य व्यक्ति रिकार्ड तोड़ते हैं। अपने सम्मान के बजाय अपने चरित्र के प्रति अधिक गंभीर रहें। आपका चरित्र ही यह बताता है कि आप वास्तव में क्या हैं जबकि आपका सम्मान केवल यही दर्शाता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोंगों के लिए परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहते हैं जो कि सामने आने वाली परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं ।

दूसरों की गलती पर तुरंत उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचते हुए, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व विवेकशील नजरिया विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है तथा आत्म-सम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है।

जीवन में अनेक विफलताएँ केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को यह आभास नहीं होता है कि जब उन्होंने प्रयास बंद कर दिए तो उस समय वह सफलता के कितने करीब थे । कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। दान करने से रुपया जाता है, ''लक्ष्मी'' नहीं, घड़ी बंद होने से घड़ी बंद होती है, ''समय'' नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, ''सच'' नहीं।

वह व्यक्ति समर्थ है जो यह मानता है कि वह समर्थ है । यदि निर्णय की स्थिति असपष्ट हो तो परिस्थितियों को नजरंदाज करना भी समझदारी है। किसी की कद्र और सब्र तभी तक कीजिए जब तक कि आपके स्वाभिमान को लज्जित न होना पड़े। सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है।

आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं।

❑ ❑ ❑

उद्यम

सुश्री चित्राली कटरे
पुत्री, श्री राजेश कुमार कटरे,
व. अनुवादक

स्वप्न के पहियों को,
मन की धुरी में पिरोना छोड़ दो ।
मनोरथ की लंबी पटरियों पर,
इरादों के रथ दौड़ाना
तुम छोड़ दो।

हार हार कर भी कभी,
हतप्रभ मत हो जाओ ।
आस रखो प्रयास करो,
हताशा तुम छोड़ दो ।

आंसूओं के प्रवाह पर,
हवाई पुल बनाना छोड़ दो ।
प्रतिपाल्य बनो उद्यम के,
उदासीनता तुम छोड़ दो ।

आश्वासनों से ही कभी,
आश्वस्त मत हो जाओ ।
हरेक मुराद होगी पूरी,
कर्म के तुम मुरीद हो जाओ ।

❑ ❑ ❑

आखिर संगठन की आवश्यकता क्यों?

सुश्री मोनिका सोनी
डी.ई.ओ.

एक महान लेखक के अनुसार – ''किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को 'संगठन' कहा जाता है। अमेरिका में एक कथन प्रचलित है – एक फर्म के संचालक ने कहा ''हमारा धन, सम्पत्ति व सारी सामग्री ले लो, केवल हमारा संगठन हमारे पास रहने दो, कुछ समय में ही हम पुनः अपनी सम्पत्ति यथावत् खड़ी कर लेंगे।''

संसार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही बलवान, धनवान या बुद्धिमान हो, अकेले ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। वह दूसरों के सहयोग से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस प्रकार मिल–जुलकर कार्य करने की शक्ति को एकता या संगठन कहते हैं। संगठन ही सभी शक्तियों का मूल है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति संगठन पर निर्भर होती है। सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण भी पाँच तत्वों के मेल से हुआ है। अकेले धागे को कोई भी तोड़ सकता है परन्तु अनेक धागों के मेल से बनी रस्सी बड़े–बड़े हाथियों को भी बाँध देती है। अकेले एक पानी की बूँद का कोई महत्व नहीं, परन्तु जब ये मिलकर नदी का रुप धारण कर लेती है तो अपने प्रवाह में आने वाले बड़े से बड़े पेड़ों व शिलाओं को भी बहा ले जाती है। जो देश, जातियाँ व कुटुम्ब जितने अधिक संगठित रहे हैं उनका उतना ही अधिक बोलबाला रहा है।

भारतवर्ष की परतन्त्रता का मूल कारण हमारी एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने हम में फूट डालकर हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था। जब हम एक होकर खड़े हुये तो हमारा देश स्वतन्त्र हो गया। वर्तमान युग में तो संगठन की और भी अधिक आवश्यकता है। इसी के बल पर मजदूर वर्ग अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। आज के संघर्षशील युग में जो जितने अधिक संगठित होगें, वे उतने अधिक सुखी व समृद्ध होंगे। देश, जाति, संस्था व समाज चाहे वह बड़ा हो या छोटा – बिना एकता के जीवित नहीं रह सकता। एकता का दुर्ग इतना सुरक्षित होता है कि इसके भीतर रहने वाले कभी दुःखी नहीं होते। संगठन के महत्व को एक छोटी सी कहानी जो अत्यधिक प्रचलित है, द्वारा समझा जा सकता है।

एक बार खरगोश व कछुयें में कौन अधिक तेज है, इस बात पर झगड़ा चलता है। झगड़ा मिटाने के लिए एक दिन दोनों में कुछ दूरी तक रेस लगती है। देखते ही देखते खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। जब वह देखता है कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, तब वह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आराम करते–करते वह सो जाता है। फिर कछुआ धीरे–धीरे चलते खरगोश से आगे निकल रेस जीत लेता है। खरगोश की आँखे खुली तो पता चला कि वह रेस हार चुका है। भावार्थ यह है कि संयम व नियम से जीवन में सफलता मिलती है।

उपरोक्त कहानी सुनकर ही हम सब बड़े हुये हैं लेकिन एक नई कहानी में खरगोश व कछुआ ज्ञानी बन चुके हैं। खरगोश हार के कारण बहुत उदास होता है। वह महसूस करता है कि वह रेस इसलिए हारा क्योंकि वह अभिमानी और आलसी था। खुद के गुणों व अवगुणों को परखकर वह पुनः कछुये को रेस के लिए आमंत्रित करता है और इस बार आसानी से जीत जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि परखने और स्व–परिवर्तन करने से पिछली हार, विजय में बदली जा सकती है।

कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार कछुआ अपनी हार को देखकर इस निर्णय पर पहुँचता है कि इस प्रकार की रेस में वह खरगोश को कभी नहीं हरा पायेगा। कुछ सोचने के पश्चात वह एक नई प्रकार की रेस के लिए

खरगोश को आमंत्रित करता है जिसमें तालाब को पार करके रेस खत्म होती है। रेस शुरू हुई, खरगोश काफी आगे निकल गया लेकिन तालाब के पास जाकर सोचने लगा कि इसे पार कैसे किया जाये। थोड़ी देर में कछुआ आ पहुँचा, खरगोश रेस अधूरी छोड़कर चला गया। इसीलिए हमें पहले अपनी क्षमता को परखना चाहिए फिर विचार मंथन कर क्षमता के अनुरूप स्पर्धा चुनाव करना चाहिए।

कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। इस बार खरगोश व कछुएं में स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब दोनों मिलकर चिंतन करते हैं और महसूस करते हैं कि जीतने के पश्चात भी उन्हें अल्पकाल को ही खुशी मिलती है वे जीतने से अधिक दूसरे को हराने का ख्याल करते हैं। इस कारण खुशी चिरकाल नहीं चलती, पुनः हार का सामना करना पड़ता है।

अब दोनों आखिरी रेस ऐसी करना चाहते हैं जिसमें दोनों दौड़ेगें लेकिन संगठन में। रेश शुरू होती है और इस बार खरगोश कछुएं का हाथ पकड़कर दौड़ता है। तालाब के किनारे पर कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर लेकर, तैरकर तालाब पार करता है और रेस खत्म होती है। रेस खत्म होते ही दोनों को सच्ची खुशी और स्थाई जीत की अनुभूति होती है।

यह तो अच्छा है कि हर कोई अपने आप में होशियार है और भरपूर क्षमता के साथ बुद्धिमान है लेकिन जब तक हम संगठन में नहीं रहते, इकट्ठे कार्य नहीं करते तब तक हमें औरों की प्रतिभा नजर नहीं आती, उसने कुछ नया नहीं सीख पाते। कई बार, कोई गुण जो अपने में कम हो, वह दूसरों में ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इस संसार में हमारे जीवन में किस क्षण न जाने किस प्रकार की आपत्ति आ जाये तब हमें उस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें पारिवारिक व देश के हितों के लिए भेद-भाव व ऊँच-नीच को त्यागकर संगठित होकर रहना चाहिए।

❑❑❑

सुश्री नीलम देवी
क. अनुवादक

बदलती दुनिया

लम्हा – लम्हा वक्त गुजरता जायेगा,
समय की तेज धार में
सब कुछ बह जायेगा।
एक दिन ऐसा भी आयेगा
जब हमारे पास कुछ नहीं रह जायेगा।
खो चुके हम मान
अपना धन कमाने में,
संस्कृति पीछे छूट गयी फैशन के जमाने में
भूल गये हम अपनों को अपनी ही दुनियाँ बसाने में,
जिंदगी बन गयी भागम भाग प्रतियोगिता के जमाने में।
पश्चिमी सभ्यता को जब से हमने है अपनाया,
खुशियों पर तो पड़ गया जैसे लाख गमों का साया
टूट गये संयुक्त कुटुंब जब से एकल परिवार बनाया,
माँ-बाप के रिश्तों को भी अब कर दिया हमने पराया।
क्या यही था स्वप्न दादी की चमकती आँखों का?
क्या यही थी आस माँ की लोरी गाती रातों का?
कर दिया सत्यानाश हमने सारे रिश्ते-नातों का,
खूब पड़ा है असर हम पर भी विदेशी बातों का,
वक्त शेष है उठो जरा, अपना ही कल्याण करो,
अपने हाथों से तुम यूँ अपनों पर मत वार करो।
पाया है जो मानव का तन तो इसका उध्दार करो
छोड़ भौतिकता की दुनियाँ को तुम अपनों से प्यार करो।

❑❑❑

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)

श्री सुधीर कुमार
स. ले. प. अ.
शाखा कार्यालय, मुंबई

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव और अन्य जन्तुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है, बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है।ऐसी मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो सीखने और समस्या-समाधान जैसे मानव दिमाग से जुड़े लक्षण प्रदर्शित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया। जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का आधार विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। इन मशीनों को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि वो हम लोगों जैसे निर्णय लेने, सही गलत की समझ होना, इंसानों की पहचान करना इत्यादि कार्य आसानी से कर सके।

वर्तमान में तकनीकी, स्वास्थ्य, निर्माण, खेल, स्पेस स्टेशन, बैंकिंग जैसे हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जरूरत है। जिस कार्य को इंसानों द्वारा करने में काफी समय लग जाता है वो इन मशीनों के जरिए जल्द किया जा सकता है जहां पर इंसान का दिमाग एक जगह आकर सोचना बंद कर देता है वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें महीनों तक बिना थके आसानी से कार्य कर सकती हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से चार तरह की होती हैं:

1. प्रतिक्रियाशील मशीनें : प्रतिक्रियाशील मशीनों को जो कार्य दिए जाते हैं, वो उन कार्यों को ही करने में सक्षम होती हैं। दिए हुए कार्य के अलावा यह मशीन अन्य किसी भी कार्य को नहीं कर सकती हैं।

2. सीमित मेमोरी: सीमित मेमोरी प्री- प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जरवेशन करके अपना कार्य करती हैं व उनके आधार पर फैसला लेती हैं

3. मस्तिष्क का सिद्धांत: इस तरह की मशीनों को इस तरह तैयार किया जा रहा है ताकि वो दुनिया में लोगों की भावनाएं, व्यवहार सब समझ सकें।

4. आत्म जागरूकता: इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें अपने अंदर की भावनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगी जिनके अंदर आत्म जागरूकता मौजूद होगी और वो भी इंसानों की तरह भावनाएं समझ सकेंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई दशकों से चर्चा में है जहाँ इसने विकास की गति को तेज किया है, वहीं कई नई समस्याओं को भी जन्म भी दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई फायदे हैं जैसे सही फैसला लेने की क्षमता, बिना थके काम करने में सक्षम व कठिन कार्य करने की क्षमता किंतु इसके कई नुकसान भी हैं, जैसे मशीनों पर निर्भरता व नौकरियों में गिरावट इत्यादि। अतः इसके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि, दोनों पक्षों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

❑❑❑

भारत में ग्राम पंचायत

श्री राजेश कुमार कटरे
व.अनुवादक

हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत की राजकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संविधान बनाया गया जो विभिन्न देशों की संवैधानिक रीति-परंपराओं से मिलाकर विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में तैयार हुआ। हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज की व्यवस्था हमारे संविधान में उल्लिखित है। देश भर में निश्चित जनसंख्या अनुपात के आधार पर पंचायतों की स्थापना तथा इनकी सहभागिता में देश को अग्रसर करने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

देश में पंचायत जैसी व्यवस्था बहुत प्राचीन है बल्कि यह जीवन के प्रारंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। यह व्यवस्था ग्रामीण जन-जीवन की समस्याओं एवं विवादों के निपटान और सुविधाओं को प्रतिजन तक पहुंचाने का सुलभ साधन रही हैं। सन 1992 के 73 वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत संबंधी उपबंध संविधान के भाग-9 में शामिल किए गए। पंचायतों को संवैधानिक आधार पर स्थानीय स्व-शासन रूपी संस्था ओं का दर्जा प्रदान किया गया।

भारतीय गाँव एक सांस्कृतिक इकाई हैं जो परिवार और पड़ोस से मिलकर बनते हैं। इस सांस्कृतिक इकाई का जो रूप प्रारंभ में विकसित हुआ वह समाज है। भारतीय ग्रामीण समाज दुनिया के बेहतर लोकतंत्र के रूप में चिह्नित होता रहा है। लॉर्ड मेटकॉफ ने ग्राम समाज को छोटे-छोटे प्रजातंत्र के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्रामीण समाज अपने आप में एक छोटा-सा स्वरतंत्र राज्य होता है, वे अपनी सुख-सुविधाओं को उपभोग करने के लिए खुलकर अपनी स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का उपयोग करते हैं। अपने प्रारंभिक काल से ही ग्रामीण समाज ने पंचायत की परंपरा को संजोया और अपने स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता के लिए इसी को आधार बनाया। इतिहास के सभी कालों जैसे प्रागैतिहासिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, गुप्त काल, चोल काल और मुगल काल में यह परंपरा अक्षुण्य रही। हालांकि राजतंत्रीय व्यवस्था में सुदूर गांवों की पंचायत व्यवस्था उतनी मूर्त रूप में स्वीकार्य नहीं हुई।

अंग्रेजों के शासनकाल में सोची समझी राजनीति के तहत उसके प्रारंभिक काल से उन्होंने इस प्राचीन और लोकप्रिय व्यवस्था पर सबसे अधिक चोट की, जिससे ग्रामीण समाज टूट गए और दरार पड़ गई जिसका सबसे बड़ा खामियाजा उनकी समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर पड़ा। गांव धीरे-धीरे परावलंबी होने लगे। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री रमेश चंद्र दत्तर ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि - भारत में ब्रिटिश राज्य का सबसे अफसोस जनक फल यह हुआ कि उसने भारतीय ग्राम राज्य की प्रथा को तहस-नहस कर दिया जो विश्व में सबसे पहले विकसित हुई और सबसे अधिक काल तक पनपी थी।

उन्नीवसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य द्वारा एक बार फिर से स्थानीय सरकार के नाम पर पंचायतों के पुनर्गठन का प्रयोग शुरू किया गया। लॉर्ड मेयो, 1870 तथा लॉर्ड रिपन, 1882 द्वारा इसके लिए शाही कमीशन, 1901

की रिपोर्ट को सबसे ज्योदा अहमियत दी गई। किंतु इस सबके पीछे उनका मुख्य ध्येय था अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत तथा लोकप्रिय बनाना । शाही कमीशन की रिपोर्ट तथा 1919 के इंडिया एक्ट के आने के बाद वर्ष 1920 में बने बाम्बे पंचायत एक्ट के साथ प्रांतीय सरकारों द्वारा अपने-अपने पंचायत एक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे-धीरे लगभग सभी प्रांतों में एक्ट बन गए। यहीं से विधिवत कानूनी पंचायत की शुरूआत हुई।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था का सवाल भी उठा लेकिन यह स्वर इतना प्रबल नहीं हो सका। महात्मा गाँधी की प्रेरणा से अनेक देशी राजाओं द्वारा पंचायती राज के पुनर्गठन का प्रयास छिटपुट रूप से ही चलता रहा। आजादी के बाद संविधान निर्माण के समय पंचायत व्यवस्था पर उतना जोर नहीं दिया गया। इसके लिए गांधी जी के प्रमुख अनुयायी श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1946 में एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था जिसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला, प्रांत व अखिल भारतीय स्तर पर पंचायती व्यवस्था का प्रावधान था। किंतु इसे उस समय संविधान में शामिल नहीं किया गया। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद अनुच्छेद 40 के माध्याम से भारत सरकार में संसद तथा राज्य सरकारों में विधान मंडल/सभा का प्रावधान किया गया।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत करने की पहल कुछ राज्य सरकारों द्वारा की जा रही थी किंतु तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के चलते पंचायतों संबंधी प्रयासों ने गति नहीं पकड़ी। पंचायत व्यवस्था स्थापित करने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा सही एवं प्रभावी स्वरुप के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और यही नहीं इस हेतु संविधान संशोधन का सुझाव भी दिया गया था। तत्पश्चात बदल-बदल कर कई सरकारें सत्ता में आईं और संविधान लागू होने के बाद लंबे अंतराल पर वर्ष 1992 में 73 वां संविधान संशोधन करके संविधान में भाग-9 जोड़कर उसमें अनुच्छेद-243 को समाविष्ट किया गया और राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु अधिकार प्रदान किए गए। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को स्थानीय सरकार का दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं :

1. पूरे देश में ढांचागत एकरूपता लाने के लिए त्रिस्तरीय गांव, ब्लॉक तथा जिला पंचायत व्यवस्था लागू करना।

2. पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। एक पंचवर्षीय की समाप्ति के छह माह के भीतर चुनाव अनिवार्यत: होना चाहिए। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई।

3. सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाना। जनसंख्या के समान अनुपात के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करना।

4. सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

5. महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित किया गया है, यह व्यवस्था अध्यक्ष के पद हेतु भी समान है।

6. पंचायत व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ा गया।

7. संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग का गठन तथा ऑडिट की समुचित व्यवस्था।

8. ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत स्तर तक जन भागीदारी के साथ योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान।

9. ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विभागों के कार्य पंचायतों के सुपूर्द किए गए।

10. सभी स्तरों की पंचायत चुनावों में भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की निश्चित आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई।

11. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन संबंधित ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं में से किया जाए।

उपरोक्तानुसार संविधान लागू होने के बाद लंबे अंतराल पर वर्ष 1992 में 73 वां संविधान संशोधन करके संविधान में भाग-9 जोड़कर उसमें अनुच्छेद-243 को समाविष्ट करके पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकृत किया गया। अब भारतीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में देश की सबसे छोटी बसाहट अर्थात गांव को भी स्वशासित सरकार के रूप में पंचायत के रूप में एक निकाय की सुलभता प्राप्त हुई। 73 वें संविधान संशोधन के आधार पर अस्तित्व में आई पंचायत राज व्यवस्था में कहीं भी इसे राजनीतिक संगठनों से गठित होने की चर्चा नहीं की गई अर्थात देश की विभिन्न बहुदलीय पार्टियों को पंचायत राज व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए ताकि स्थानीय निकाय की संकल्पना स्थानीय रहे तथा ग्रामीण जन समुदाय स्व-शासन व्यवस्था का निष्पक्ष हितलाभ अर्जित कर सके।

❑ ❑ ❑

धीरे-धीरे हम आदी हो जाते हैं

श्रीमती अर्चना राज चौबे
पत्नी, श्री आर. के. चौबे
व.ले.प.अ.

तेजाब फेंके जाने की खबर
अविश्वसनीय थी
पिघलते लटकते मांस की जलन,
पीड़ा और चीख रूह तक फैली थी
रात भर डराती रही
हफ्तों तक झुरझुरी आती रही
मन का भीत सुलगाती रही
पर फिर सब बीत गया
तेजाबों का बिकना और लड़कियों का बदरूप होना आम हुआ,
पहली बार सुनी बलात्कार की खबर स्तब्ध कर गई थी
देह मैली आत्मा रूद्ध कर गई थी
चेतना में उठे कई सवाल क्रोध और उत्तेजना में देर तक खदबदाते रहे थे
पर फिर रोज सुनते -सुनते ये आदत हो गई
काम के बीच सुनते हैं एक ओहह ..बुरा हुआ सोचकर फिर काम में लग जाते हैं,
हत्यायें तो रोजमर्रा की बात हैं
पहली बार सुनने पर किस कदर तो थर्राहट हुयी थी
जिस्म में कँपकँपाहट हुई थी
अब नहीं होती
अब बस कुछ देर के लिए कल्पना में जमीन पर खून की बेतरतीब फैलती आवृति दिखती है
पल भर को नमक पूरी देह में सुगबुगाता है फिर अगले ही पल तकरीबन सब सामान्य ,
ऐसी खबरों का आम तौर पर सुना जाना धीरे-धीरे एक समाज का एक देश का मर जाना है ,
हम इसके आदी हो चुके हैं।

❑ ❑ ❑

अनुशासन– सफल जीवन का आधार

श्री वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

अनुशासन तीन शब्दों के योग से बना है – अनु – उपसर्ग, शास्त्र– धातु एवं अन्य–प्रत्यय। इसके दो अर्थ हैं – शासन करना, – विशेष रूप से अपने ऊपर शासन करना तथा शासन के अनुसार आचरण करना। अपने मन, मस्तिष्क तथा आचरण पर खुद से खुद का शासन, अनुशासन है । दूसरे शब्दों में स्वयं को कुछ दृष्टियों से नियमों में बाँध लेना एवं तदनुसार जीवन – यापन करना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन मानव जीवन की सफलता और प्रगति का मूल मंत्र है । राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों पर अवलम्बित होती है । एक जागरूक एवं कर्त्तव्यपरायण नागरिक गढ़ने में अनुशासन की महत्ता असंदिग्ध है । व्यक्तिगत विकास के साथ ही राष्ट्र तथा समाज के विकास हेतु किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का अनुशासनबद्ध होना अत्यन्त आवश्यक है । समस्त चराचर जगत में मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होने का गौरव प्राप्त है ; किन्तु यदि वह अनुशासनहीन है तो निश्चय ही इस गरिमा को कलंकित करता है । ऐसा व्यक्ति जीवन के छोटे से छोटे उद्देश्य तथा बड़ी से बड़ी उपलब्धि से ताउम्र वंचित रह जाता है । अनुशासन का महत्व व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं अपितु समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण है । एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमारा जीवन समाज के बाहर नहीं हो सकता । भारतीय समाज अपने व्यापक अर्थ में समाज नहीं कई समाजों का समूह है । प्रत्येक समाज के अपने रीति – रिवाज, नीति–नियम होते हैं जो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए होते हैं । इनका उद्देश्य समाज विशेष का उत्थान तथा उसको सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है । किसी देश या राष्ट्र के बतौर संविधान द्वारा हमारे कुछ मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य निर्धारित होते हैं, इन अधिकारों को प्राप्त करने तथा कर्त्तव्यों के समुचित पालन के लिए भी अनुशासनबद्धता बेहद जरूरी है ।

अनुशासनहीन जीवन हमेशा ही अस्त–व्यस्त , तनावपूर्ण और संघर्षों से घिरा रहता है, अनुशासन प्रिय मनुष्य सदैव एक संतुलित एवं नियमित दिनचर्या का पालन करता है । इस प्रकार उसके बहुमूल्य समय की बचत होती है, जिसके सदुपयोग से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है । वहीं बिना अनुशासन के यही मूल्यवान समय व्यर्थ के सोच – विचार में नष्ट हो जाता है। इस प्रसंग से संत कबीरदास के निम्न दोहे की संगति भली–भांति बिठाई जा सकती है –

रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवायो खाय।
हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय।।

समस्त प्रकृति हमारे समक्ष अनुशासन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रकृति के सभी उपादान अनुशासन से बंधे सहज गतिमान हैं । यदि एक क्षण के लिए भी इससे अन्यथा आचरण करने लग जाएं तो इसके परिणाम की कल्पना तक नहीं की जा सकती । आदिम समय में मानव चूँकि सभ्य नहीं था, अत :उसके जीवन में अनुशासन का नितांत अभाव था, किन्तु सभ्यता के विकासक्रम में उसने इसके महत्व को पहचाना तथा कुछ नियमों का निर्माण कर समाज को सुव्यवस्थित रूप दिया।

परिवार अनुशासन की प्रथम पाठशाला है तथा विद्यालय जाकर इसे क्रमश: विकसित होने का सुअवसर प्राप्त होता है । स्तरीय शिक्षा विद्यार्थी को

भावी जीवन के लिए अनुशासित कर देती है, जिसके मार्फत वह एक सुनहरे भविष्य को आकार दे सकता है। सच्चा अनुशासन मनुष्य को पाश्विक वृत्ति से सर्वथा पृथक कर उसे वास्तव में मनुष्य बनाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता और महत्ता अक्षुण्य है, चाहे वह हमारा निजी जीवन हो, परिवार, विद्यालय, कार्यालय, खेल का मैदान हो अथवा युद्ध क्षेत्र; अनुशासनहीनता सर्वत्र अराजकता और अशान्ति की सृष्टि कर सकती है। इतिहास के पन्ने ऐसे महान जननायकों के किस्से-कहानियों से भरे हुए हैं जिन्होंने अपने अनुशासनपूर्ण जीवन से दृढ़ संकल्पों को पूरा कर दिखाया। अनुशासन के बलबूते ही नेपोलियन को विश्वविजेता की पदवी मिली तथा गांधीजी के नेतृत्व में अनुशासनबद्ध होकर ही देशवासियों ने कठिन संघर्षों से स्वाधीनता अर्जित की। उपरोक्त सभी दृष्टान्तों से अनुशासन की महत्ता स्वयंसिद्ध है।

मौजूदा समय में भौतिकवादी संस्कृति के व्यापक प्रभाव या दबाव में मानव जीवन अधिकाधिक आलस्यपूर्ण हो गया है। ऐसे में अनुशासन की महत्ता और उपयोगिता के प्रति हमारे उदासीन रवैये से देश-समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में व्यवधान की एक बहुत बड़ी गुंजाईश बची रह जाती है। आज हमारा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन अनुशासन के अभाव में विश्रृंखलित होता जा रहा है। इसे दूर करने के लिए हमें वर्तमान सन्दर्भों में अनुशासन की अनिवार्यता को समझना ही होगा, इसके बिना राष्ट्रीय जीवन के वृक्ष की जड़ें निर्मूल हो जाएंगी। अतः आत्म संयम अथवा आत्म नियंत्रण द्वारा अपने भीतर की तमाम बुराईयों और दुर्गुणों को सर्वथा त्यागकर एक श्रेष्ठ देश-समाज बनाने के लिए उदात्त गुणों का संवर्धन बेहद जरूरी है। सिर्फ बाहरी रूप से ओढ़ा गया अनुशासन स्थायी तथा कारगर कभी नहीं हो सकता।

❑ ❑ ❑

जीवन एक समंदर

श्री शिरीष कुमार झा
लेखापरीक्षक
शाखा कार्यालय, मुंबई

ये जीवन है जैसे कोई समंदर
बहुत गहराई है इसके अंदर
साँसों की लहरें हैं इसमें
कभी उठती कभी गिरती
कभी खुशियों सी मचलती
और कभी रुकती-चलती
चाँदनी रातों में चमक उठता है ये मंजर
पर कभी तूफानी वक्त ले आती है कोई भंवर
ये जीवन है जैसे कोई समंदर
बहुत गहराई है इसके अंदर।
जैसे होती है कोई विशाल समंदर में एक छोटी सी कश्ती
वैसे ही है इस जीवन में बसी हुई एक सपनों की बस्ती
कश्ती को है इंतज़ार कि मिल जाए उसे किनारा
और इस सपनों की कश्ती में भी आए कोई नया सवेरा।
जैसे ये समंदर है शांत, पर है इसमें बहुत हलचल
वैसे ही इस जीवन में कभी फूल तो कभी कांटें बिछते हैं हर पल
ये जीवन है जैसे कोई समंदर
बहुत गहराई है इसके अंदर।
इस समंदर रूपी जीवन में कभी है शोर
जब उमंगों भरी लहरें उठती हैं चारों ओर
पर कभी अनायास ही हो जाती है ये गुमसुम
जब छिन जाती है जिंदगी के हंसी चेहरे से तबस्सुम
जिंदगी है एक मूक सवाल
कोई न जाने क्या होगी वक्त की अगली चाल
समंदर शांत, स्थिर पर वक्त के चट्टानों से जुझती
एक छोटी सी जिंदगी भी है रह-रह कर ना जाने कितने टुकड़ों में बिखरती
जैसे समंदर के मिल नहीं सकते कभी दोनों किनारे
वैसे ही जीवन पर अख़्तियार नहीं होते हैं हमारे
ये जीवन है जैसे कोई समंदर
बहुत गहराई है इसके अंदर।

❑ ❑ ❑

जीवन और मृत्यु में अंतर

श्री रविन्द्र ब्राम्हणकर
व. ले. प.
शाखा कार्यालय, मुंबई

यह कहानी एक अमेरीकन दंपति की है जिनके बीच हमेशा अनबन चलती थी । उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई और एक दिन उन दोनों का तलाक हो गया । इस तलाक के अनुसार पति को अपनी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा देना था। पति ने अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम कर दी अपने पास कुछ नहीं रखा। जब उस व्यक्ति ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 70 डॉलर बचे थे । वह व्यक्ति सोचने लगा कि अब ये बचे डॉलर का मैं क्या करूंगा, यह सोचकर वह एक रेस्तरां में गया और वहीं पर पड़े हुये एक अखबार को पढ़ने लगा, पढ़ते - पढ़ते अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर गई जिसमें सरकार ने एक खदान की बोली लगाई हुई थी, और लिखा था जिसको भी बोली लगानी हो वह निर्धारित समय पर पहुँच कर बोली लगाने के लिए खदान के पास पहुँच जाए । सरकार ने उस खदान की खुदाई करवाई थी लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, अंत में उस खदान की बोली लगाने का निर्णय लिया था, ये बात सभी को पता थी । जिस दिन बोली लगाने का समय था वह व्यक्ति खदान के पास पहुँच गया, वहाँ देखा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था । वह व्यक्ति सोचने लगा कि चलो यह खदान पर बोली लगाते हैं, यदि कुछ नहीं मिला तो इसी गड्ढे में जान दे दूंगा, अब इस जीवन में तो कुछ बचा नहीं है । सौभाग्यवश उस दिन बोली लगाने के लिए कोई नहीं आया क्योंकि सब लोगों को पता था कि खदान में कुछ निकलने वाला तो है नहीं, और वह खदान उस व्यक्ति को दे दी गई ।

अब वह व्यक्ति इतनी बड़ी खदान का मालिक बन गया । अब वह सोचने लगा मैं इतनी बड़ी खदान का क्या करूँ। यह सोच ही रहा था कि उसी समय मजदूर आ गए और बोले मालिक साहब अभी क्या करना है क्योंकि आज की मजदूरी तो हम लोगों को मिल ही चुकी है, अतः आप जैसा आदेश दें हम लोग वह करने के लिए तैयार हैं । उस व्यक्ति ने कहा ठीक है शाम तक जितना खुदाई कर सकते हो, कर लो। सारे मजदूर खुदाई करने लगे, अभी तीन फीट की खुदाई ही हुई थी तो देखा कि खदान में सोना निकलने लगा । यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते वह व्यक्ति करोड़पति बन गया । उसका नाम सब जगह फैल गया, जगह-जगह स्वागत सत्कार होने लगा, बड़े-बड़े व्यापारी मिलने जुलने आने लगे, पत्रकार साक्षात्कार लेने के लिए आने लगे। उसी समय एक पत्रकार ने एक साक्षात्कार में उस व्यक्ति से पूछा कि जिंदगी और मौत में क्या अंतर है तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी जिंदगी और मौत में सिर्फ तीन फीट का अंतर था, यदि इस तीन फीट में यह सोना न निकलता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मैं उसी खदान में कूदकर अपने प्राण दे देता परंतु उसके पहले ही मुझे दोबारा जीवन दान मिल गया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, जीवन और मृत्यु में बहुत बारीक अंतर होता है ।

❑ ❑ ❑

जीवन में कभी हार मत मानो

श्री रोहित कुमार जैन
स. ले. प. अ.
शाखा कार्यालय, मुंबई

एक बार एक चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए कुछ दाने इकट्ठे किए और उनको एक पेड़ के तने में छिपा कर रख दिया। एक दिन जब चिड़िया उन दानों को लेने के लिए पेड़ पर पहुंची तो पेड़ ने उन दानों को चिड़िया को देने से मना कर दिया। चिड़िया बहुत गुस्सा हो गई और वह पेड़ को कटवाने के लिए एक पेड़ काटने वाले के पास पहुंची और बोली कि पेड़ ने हमारे दानों को रख लिया है और मुझे वापस नहीं दे रहा है, तुम उस पेड़ को काट दो, इस पर पेड़ काटने वाला व्यक्ति हंसा और बोला तुम्हारी इतनी तुच्छ बात के लिए मैं पेड़ को क्यों काटूं। यह सुनकर चिड़िया उड़ कर राजा के पास पहुँची और पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा से प्रार्थना की कि आप उस पेड़ काटने वाले को दंडित करें क्योंकि उसने पेड़ काटने से मना कर दिया है। राजा भी हंसा और बोला मैं इतनी छोटी सी बात के लिए पेड़ काटने वाले को इतनी बड़ी सजा क्यों दूं? चिड़िया ने हार नहीं मानी और राजा के हाथी के महावत के पास पहुंची और महावत से बोली कि जब राजा कल सवारी करने के लिए हाथी पर बैठें तो तुम उनको हाथी से गिरा देना। महावत ने भी ऐसा करने से मना कर बोला मैं अपने राजा को तुम्हारी इस छोटी बात के लिए क्यों गिराऊँ? फिर चिड़िया उड़ कर हाथी के पास पहुंची और कहानी सुनाने के बाद हाथी से बोली कि कल तुम महावत को अपनी पीठ पर से नीचे गिरा देना इस पर हाथी ज़ोर से हंसा और बोला मैं अपने मालिक को नीचे कैसे गिरा दूं? मैं अपने मालिक के प्रति धोखा नहीं कर सकता हूँ। उस छोटी सी चिड़िया ने फिर भी हार नहीं मानी और चींटी के पास गयी और अपनी पूरी कहानी सुना कर बोली कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ जिससे वह महावत को और महावत राजा को नीचे गिरा सके। इस पर चींटी भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुई और बोली मैं ये काम नहीं कर सकती।

चिड़िया अब सभी से विनती कर के बहुत परेशान हो चुकी थी। चिड़िया ने अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और चींटी से बोली तुमने मेरी बात नहीं मानी अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैं हाथी, महावत और राजा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ लेकिन तुम्हें मैं अपनी चोंच में लेकर जरूर निपटा सकती हूँ। यह सुनकर चींटी बहुत डर गई और उसने ये बात हाथी को बताई, हाथी ने महावत को, महावत ने राजा को बताई। राजा ने तुरंत ही पेड़ काटने वाले को दंड देने के लिए बुलाया, पेड़ काटने वाला राजा के पैरों पर गिर गया और क्षमा मांगने लगा और बोला महाराज मैं अभी पेड़ को काट देता हूँ और जैसे ही वह पेड़ काटने के लिए पहुँचा, पेड़ डर गया और बोला मुझे मत काटो मैं चिड़िया के दाने देने के लिए तैयार हूँ और उसने चिड़िया के सारे दाने लौटा दिये।

इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हौसला रखा जाए और विकट परिस्थितियों में भी हार न मानी जाए तो बड़ा से बड़ा काम एक छोटा सा व्यक्ति भी कर सकता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया ने अंत तक हार नहीं मानी और अपने उद्देश्य में सफल हो गई। इसलिए मनुष्य को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिये चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े।

❑❑❑

बचत करना कितना आवश्यक

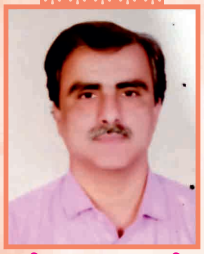

श्री राम गुरबानी
सहायक पर्यवेक्षक
शाखा कार्यालय, मुंबई

इंसान अपनी जिंदगी में कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है व मनचाहा पैसा भी बना सकता है। परंतु, पैसे को तुरंत खर्च करने के बजाय इसे बचाना भी बहुत जरूरी है। बचत किसी की आय, कमाई या मुनाफे के एक हिस्से को एक सुरक्षित और विश्वसनीय खाते में रखने की एक प्रक्रिया है, जैसे बचत खाता या निवेश कोष।

पैसे बचाने के मुख्य लाभों में से एक लाभ है वित्तीय सुरक्षा।धन का भंडार होने से मन की शांति प्रदान करने में मदद मिल सकती है,यह जानकर कि यदि अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होते हैं तो उन्हें संभालने के लिए संसाधन हैं।इसमें आपातकालीन चिकित्सा खर्च, अचानक घर की मरम्मत, या नौकरी छूटना शामिल हो सकता है।बचत के बिना, व्यक्तियों को अचानक आये खर्चों को वहन कर इन लागतों को पूरा करने के लिए ऋण लेने या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च-ब्याज ऋण और वित्तीय तनाव हो सकता है।

इसके अलावा, आर्थिक कठिनाई व आपात स्थिति के समय में बचत एक सुरक्षा कवच प्रदान करने में मदद कर सकती है।आर्थिक मंदी या नौकरी का नुकसान व्यक्तियों और परिवारों को एक कमजोर वित्तीय स्थिति में छोड़ सकता है। हालांकि, बचत करने से लोगों को खराब वित्तीय स्थिति के समय और अर्थव्यवस्था में सुधार होने तक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।

बचत का उपयोग भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। चाहे वह घर खरीदना हो, व्यवसाय शुरू करना हो, उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करना हो या आराम से सेवानिवृत्ति में निवेश करना हो,बचत खाता होना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उदाहरण के लिए, घर खरीदना सबसे महत्वपूर्ण खरीदारी है जो अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में करते हैं। एक घर पर डाउन पेमेंट के लिए पैसा बचाना इस खरीदारी को और अधिक किफायती बना सकता है और खरीदारों को महंगे निजी बंधक बीमा से बचने की सहूलियत दे सकता है।

ऐसी कई रणनीतियाँ हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति अपनी बचत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वित्तीय प्रबंधन स्थापित करना और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए खर्चों को नियंत्रण करना है, जहां पैसा बचाया जा सकता है।उदाहरण के लिए, अनावश्यक खर्चों को कम करना, जैसे कि बाहर खाना या महंगे कपड़े खरीदना, बचत खाते में डालने के लिए धन मुक्त कर सकता है।

एक और रणनीति बचत को स्वचालित करना है। कई वित्तीय संस्थान प्रत्येक भुगतान अवधि में किसी के आय के एक हिस्से को बचत खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने का विकल्प प्रदान करते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लगातार पैसे बचाने का यह एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

विशेषत : कोविड-19 जैसी महामारी में आय का बंद होना या कम होना, आवश्यक खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने व अस्पताल इत्यादि के खर्चों के डर की वजह से लगभग सभी लोगों ने बचत के फायदे सीख लिये हैं।

अंत में, पैसा बचाना व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन का एक अनिवार्य पहलू है, जो किसी के वित्तीय कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रभावी बचत रणनीतियों को लागू करके, लोग अपनी वित्तीय सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं।

❑❑❑

सोच मत कुछ भी, बस कार्य किए जा ...

सुश्री ईशी सिन्हा
स. ले. प. अ.
शाखा कार्यालय, मुंबई

दिशा निर्धारित करके,
बस कर्म किए जा,
हाँथ में है जो भी,
तू बस कर्म किए जा।
मिला तुझे जो,
तेरा उसमें था वजूद,
मिलेगा तुझे जो भी,
उसमें होगा प्रतिबिम्ब तेरा,
सोच मत कुछ भी, बस कर्म किए जा।
रख भरोसा पदचिन्हों पर, या बना ले खुद से निशान,
व्यर्थ है टाल-मटोली से नकारना,
सोच मत कुछ भी, बस कर्म किए जा।
सर्द हवाओं को गौरव अपना मान के, तेज धूप को सारथी,
लेकर चोला अपना, तुझे तो बस मस्त-मौला चलना,
इसलिए सोच मत कुछ भी, बस कर्म किए जा।
पर हाँ, मान भी रख उस छाँह का, जो सोखता तेरा पसीना,
जो बुझाता तेरी प्यास,
शायद जिसके बिना न रहती तुझमें आस,
सोच मत कुछ भी, बस कर्म किए जा।
पा जाएगा एक दिन मन्जिल तू भी,
बस रखना खुद पर विश्वास
ढूढ़ने से तो भगवान भी मिलते,
फिर गंतव्य क्या है बड़ी बात!
सोच मत कुछ भी बस कर्म किए जा,
हाथ में है जो भी बस कर्म किए जा।

❑❑❑

जीवन के लक्ष्य

श्री विवेक कुमार
व.ले.प.
शाखा कार्यालय, मुंबई

अपने भाई-बहनों में सबसे छोटा होने के कारण, जब मैं छोटा बच्चा था, तभी से मेरी इच्छा स्कूल जाने की थी। अन्य बच्चे जहां स्कूल जाने के क्रम मे रोते- बिलखते हैं, मैं वहां खुशी-खुशी स्कूल जाता था।

जब स्कूल पहुँचा तो वहां भी अन्य सहपाठियों के लक्ष्य थे, कोई तो क्लास मे टॉप करना चाहता था तो किसी को परीक्षा में सिर्फ किसी तरह पास करने लायक नंबर से मतलब था (पढ़ाई में औसत होने के कारण मैं भी उन्हीं में से एक था)।

जब स्कूल खत्म हुआ तो दौर चालू हुआ कॉलेज का। डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञान, कला और वाणिज्य, इन विषयों में अपना फ्यूचर बनाने का। किसी को तो सिर्फ टॉप रैंकर कॉलेज चाहिए तो कोई सामान्य कॉलेज मे भी दाखिला मिल जाए उसी में प्रसन्न था।

फिर दौर चालू हुआ, वो बेरोजगारी के आलम में रोजगार का, किसी को सिर्फ रोजगार चाहिए तो कोई व्यापार, कोई स्व- रोजगार करना चाहता था। मैं भी रोजगार चाहने वालों की दौड़ में था।

इस प्रकार यह दौर जीवन भर चलता रहता है, आपके जीवनपर्यन्त। जीवन के हर पड़ाव पर आपके लक्ष्य होते हैं, एक के बाद एक। कुछ लक्ष्य हासिल होते है और कुछ नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि जो लक्ष्य समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, उसकी वर्तमान में भी चाहत आपको, आपके आगे जाने के लक्ष्य से दिग्भ्रमित करती है।

इस लक्ष्यपूर्ण जीवन में महत्व सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आपका सामाजिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा, क्योंकि यही चीजें आपको इंसान बनाती हैं।

❑❑❑

एक भूली हुई विरासत–हम्पी

श्री ए. के. भट्टाचार्य
व. ले. प. अ.

हम्पी एक समय विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली, समृद्ध राजधानी थी, जो अब एक खंडहर है और ऐतिहासिक महत्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेचर ट्रेल्स, बियर सैंक्चुअरी, द हिप्पी आइलैंड, बर्ड वाचिंग, तुंगभद्रा नदी भी हम्पी में प्राणपोषक हैं। हम्पी के विशाल स्मारकों के अवशेषों से हम अभी भी उस संपत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे दक्कन के शासकों ने इस शहर को मिटाकर लूटा ।

हम्पी में प्रवेश करने पर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी, वह है ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़[1] – भूरे, गेरू, ग्रे, गुलाबी आदि जैसे विभिन्न रंगों के – ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे सावधानीपूर्वक और स्थापत्य रूप से वहाँ रखे गए हों। साथ ही हमारा ध्यान उन पॉलिश किए हुए शिलाखंडों की ओर गया जो अन्य शिलाखंडों की दरारों में आराम से फिट हो गए थे तथा चट्टानों के ढेर जो चारों ओर बिखरे हुए थे, उन पर भी हमारा ध्यान गया। भूवैज्ञानिक रूप से, यहां का ग्रेनाइट इलाका सबसे स्थिर है, जो 3-3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह के नीचे बना था, फिर ऊपर धकेला गया, फिर हवा, बारिश, सूरज से अपक्षयित हो गया, जिससे बड़े बोल्डर ऐसे दिखते हैं कि सिर पर गिर जाएंगे।

हम्पी के पुरातात्विक खंडहर 26 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके बाद हमने हम्पी के कई शानदार द्रविड़ मंदिर खंडहर, जीर्ण–शीर्ण स्तंभ, भव्य शाही किले, अस्तबल, तुंगभद्रा में नदी तट, स्थानीय जीवन आदि देखे। हम सबसे पहले जिस मंदिर में गए, वह है विरुपाक्ष मंदिर[2], जो विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र बचा हुआ मंदिर है तथा एक तीर्थ स्थान है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि इसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है और दो आंगनों में घर हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर तीन सिर वाले नंदी की मूर्ति[3] है। केंद्र में एक स्तंभित हॉल है जिसे रंग मंडप के रूप में माना जाता है। हमने कृष्ण एक बूढ़े हाथी[4] का आशीर्वाद भी मांगा। मोनोलिथ बुल या नंदी[5] प्राचीन वास्तुकला का एक भव्य नमूना है जो दो मंजिला मंडप में स्थित है। यह विशाल संरचना, जो पौराणिक रूप से भगवान शिव का वाहन है, प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर के ठीक सामने स्थित है।

यह अखंड बैल, हालांकि आंशिक रूप से विकृत है, नक्काशी की एक मोटे शैली का प्रदर्शन करता है।

मोटे तौर पर, हम्पी में खंडहरों के तीन समूह हैं, 1. पवित्र खंडहर 2. मेट्रोपॉलिटन खंडहर और 3. रॉयल एनक्लोजर। हमने रॉयल एनक्लोजर की महत्वपूर्ण संरचनाओं का दौरा किया जैसे कि 100–स्तंभों वाले हॉल के साथ किंग्स ऑडियंस हॉल में कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष, स्टेप्ड टैंक[6], एक भूमिगत कक्ष और महानवमी देब्बा ।

इसके बाद हम भगवान विष्णु को समर्पित प्रतिष्ठित विजया विट्ठल मंदिर[7] गए जहां खंभे संगीत बजाते हैं। इसके शिकारा और गोपुरम उजड़ गए हैं। हालांकि, पत्थर का रथ[8] लंबा खड़ा है।

इसके बगल में दशहरा डिब्बा[9] है, जिसे राजा की सीट माना जाता है जहां से वह महानवाणी के समारोह देखते थे। पास ही हजारा राम मंदिर[10] है जो रामायण की विभिन्न कहानियों से खुदा हुआ है।

हाथियों के अस्तबल में 11 हाथियों का क्वार्टर[11] है, हालांकि अब इसमें हाथियों को नहीं रखा जाता है। प्रत्येक क्वार्टर विशाल है और इनके सामने हरे-भरे मैदान हैं। पूरी इमारत एक सम्मित रूप में है, और केंद्रीय हॉल टॉवर यहां के अधिकांश मंदिरों के आकार को दर्शाता है। इस केंद्रीय हॉल के दोनों ओर पाँच गुंबद हैं जो वास्तुकला की इस्लामी शैली को दर्शाते हैं।

आसपास के क्षेत्र में हमने जेनाना महल, एक रानी का स्नानागार, एक बाबड़ी (पुष्करिणी) और कमल मंदिर[12] देखा, आसपास के क्षेत्र में कमल महल सभी हम्पी पर्यटन स्थलों के बीच एक स्पष्ट वास्तुशिल्प डिजाइन प्रदर्शित करता है। इसे कमल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कमोबेश कमल के फूल के आकार जैसा दिखता है।

इस महल का केंद्रीय गुंबद, कमल की कली और बालकनी तथा मार्ग पंखुड़ियों के रूप में दिखता है। छत एक बहुस्तरीय डिजाइन को दर्शाती है और इंडो स्थापत्य शैली को दर्शाती है। इस महल की मेहराबदार खिड़कियों को सहारा प्रदान करने के लिए लगभग 24 स्तंभ हैं। ये खंडहर मंदिरों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं। हम्पी एक फोटोग्राफर का आनंद स्थल है। विशाल शिलाखंड[13], सूर्य की किरणों को बहुतायत में दर्शाता है।

हम्पी का बड़ा स्नानागार, रानी का स्नानागार[14] है, यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का महिमामंडन करता है और शाही बाड़े का एक हिस्सा है।

अगले दिन हमने हम्पी के पुरातत्व संग्रहालय का दौरा किया, जिसमें चार प्रमुख खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग प्रदर्शनी के लिए समर्पित है। पहला खंड हम्पी मॉडल प्रदर्शित करता है, दूसरा खंड हम्पी खंडहरों को समर्पित मूर्तियों को दिखाता है। तीसरा खंड उपकरण, हथियार और गोला-बारूद प्रदर्शित करता है। चौथा खंड पूर्व-ऐतिहासिक और उत्तर-ऐतिहासिक युग की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से पहले प्रसिद्ध स्टेप्ड टैंकों की आकर्षक झलक देखने गए, जिन्हें पवित्र स्नान के लिए पवित्र टैंक माना जाता है।

टैंक के अंदर चारों तरफ सीढ़ियां हैं। रॉयल सेंटर में स्टेप्ड टैंक अपने आयामों में ज्यामितीय रूप से बड़ा है और जल निकासी प्रणाली की पूर्ण अनुपस्थिति के साथ एक हरे रंग के डायराइट से बना है। स्टेप्ड टैंक का निर्माण काले शिस्ट पत्थरों से किया गया है।

हम लोग, जो विश्व युद्धों और प्रलय और उसी की कई मीडिया प्रस्तुतियों की विरासत में पले-बढ़े हैं, काश हम अपने इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान पाते।

❑ ❑ ❑

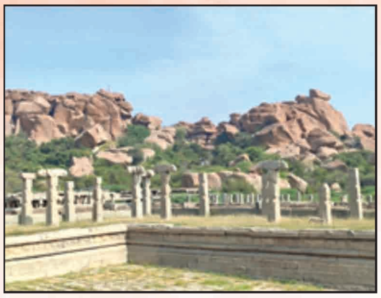

1 – ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़

2 – विरुपाक्ष मंदिर

3 – नंदी की मूर्ति

4 – कृष्ण एक बूढ़े हाथी

3 - 5 - मोनोलिथ बुल या नंदी

6 – स्टेप्ड टैंक

7 – विट्ठल मंदिर

8 – पत्थर का रथ

9 – दशहरा डिब्बा

10 – हजारा राम मंदिर

11 – 11 हाथियों का क्वार्टर

12 – कमल मंदिर

13 – विशाल शिलाखंड

14 – रानी का स्नानागार

एक पढ़ी लिखी घरेलु पत्नी की पति के नाम खुली चिट्ठी

श्रीमती मोनिका सिन्हा
बहन, श्रीमती रिंकू सिन्हा
स. ले. प. अ.

प्यारे पति महोदय,
गुजर गये कई साल करनी थी
तुमसे कुछ बात
चलो आज खुल के कहे देती हूँ ...
प्यार से रहना हो तो उम्मीदें थोड़ी
कम रखना
वर्ना ये न कहना की कुछ भी हो जाए
मेरे संग ही रहना
खाना अगर रेस्टोरेंट सा चाहिए तो कभी
झाड़ू तुम भी उठा लो
और घर अगर होटल सा नीट एवं टाइडी चाहिए
तो अपने स्वाद से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो
पर खाना, कपड़े और घर सब परफेक्ट चाहिए
तो मेरी जरुरत नहीं है तुम्हें
बस अपने लिए एक कामवाली बाई रख लेना
फिर से कहे देती हूँ, प्यार से रहना हो
तो उम्मीदें थोड़ी कम रखना
वर्ना ये न कहना की कुछ भी हो जाए
मेरे संग ही रहना
मैं दिन भर घर पर रहती हूँ और तुम बाहर जाते हो
माना कि बाहर जाते हो और घर के लिए कमाते हो
पर कमाई से ज्यादा ऑफिस की धौंस
मुझ पर जताते हो
गर ऑफिस का काम इतना ही भारी है
तो ये लो घर की चाभी आज से तुम्हारी है
थोड़े दिन कर लो घर में आराम,
मुझे भी समझने दो आटे दाल का दाम
पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, कुछ न कुछ
हम कर लेंगे
दाल रोटी में ही सही, हम कम में गुजारा कर लेंगे
पर ऐसे में तुम अपने मेल ईगो को
बीच में आने ना देना
फिर से कहे देती हूँ ...
प्यार से रहना हो तो उम्मीदें
थोड़ी कम रखना
वर्ना ये न कहना कि कुछ भी हो जाए मेरे संग ही रहना।
बच्चे आये मेरी कोख से पर हैं तो ये हम दोनों के
फिर क्यों उनकी पूरी जिम्मेदारी बस मेरे ही कन्धों पे,
अगर मैं टिफिन भरूँ, तो तुम उनके जूते पॉलिस कर दो
या फिर कम से कम उनकी होमवर्क में तो मदद कर दो
जानती हूँ स्कूल की फीस तुम ही भरते हो
और फिर उसकी रसीद दिखा कर घर पर खुद
अकड़ते हो
पर स्कूल फीस भरने भर से गर ड्यूटी पूरी होती हो
तो उनके ग्रेड कार्ड्स देखकर तुम रोने मत लगना
सुन तो फिर से एक बार ...
प्यार से रहना हो तो उम्मीदें थोड़ी कम रखना
वर्ना ये न कहना कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे
संग ही रहना।

❑ ❑ ❑

ऊपर वाले पर भरोसा रखो

सुश्री अर्पिता
पुत्री, श्री अनिल कुमार
क. अनुवादक
शाखा कार्यालय, मुंबई

एक आश्रम में एक गुरु जी कुछ शिष्यों के साथ रहते थे । वे सभी शिष्य गुरु जी की सेवा किया करते थे तथा गुरु जी उनको ज्ञान व शिक्षा दिया करते थे । उन शिष्यों में एक शिष्य की बहन का विवाह कुछ दिनों में होने वाला था। वह शिष्य बहुत गरीब था, उसके पास बहन का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। वह शिष्य अपने गुरु जी को अपनी बहन की शादी में चलने के लिए बार-बार कहता था और सोचता था कि शायद इसी बहाने गुरु जी हमारी कुछ मदद कर दें लेकिन हर बार गुरुजी मना कर देते थे और कह दिया करते थे कि मैं किसी भी शादी ब्याह में नहीं जाता हूं, तुम जाओ और साथ में दो शिष्यों को भी अपने साथ लेते जाओ जो तुम्हारी बहन की शादी में मदद करेंगे और धूमधाम से विवाह संपन्न करो । शिष्य जिस दिन अपनी बहन के विवाह के लिए घर जा रहा था तो चलते समय गुरु जी ने उस शिष्य को पांच अनार दिए और कहा यह अनार तुम्हारे काम आएंगे।

तीनों शिष्य गांव की ओर चले जा रहे थे, रेतीला इलाका था। चलते-चलते शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वही शिष्य जिसकी बहन का विवाह था अपने साथियों से कह रहा था कि हमने गुरु जी की कितने वर्षों से तन मन से इतनी सेवा की लेकिन गुरु जी ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे यह पांच अनार देकर भेज दिया। वह दोनों साथी कहने लगे कि कोई बात नहीं ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक ही करेगा। चलते चलते तीनों थक गए तो एक गांव में विश्राम करने के लिए रुक गए । उस गांव में उस राज्य के सिपाही आकर सभी घरों में पूछ रहे थे कि यदि इस गांव में किसी के पास अनार हैं तो उन्हें दे दो राजा की पुत्री बहुत बीमार है, वैद्य ने उसको अनार के साथ दवाई लेने के लिए कहा है। यदि अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो राजा की पुत्री शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। अनार के बदले में राजा बहुत सारा धन देने के लिए तैयार हैं ।

तीनों शिष्य बोले हमारे पास अनार हैं और हम ये अनार देने के लिए तैयार हैं हमें राजा के पास ले चलो। राजा के सिपाही उन तीनों शिष्यों को राज दरबार में लेकर पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज इन तीन शिष्यों के पास अनार हैं और ये अनार देने के लिए तैयार हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन अनार के फलों से राजा की पुत्री का इलाज हुआ और राजा की पुत्री पूर्णरूप से स्वस्थ हो गई । राजा ने प्रसन्न होकर उन तीनों को बहुत सारा धन और सोने चांदी के आभूषण दिए । वे तीनों शिष्य खुशी-खुशी घर चले गए । उस शिष्य ने अपनी बहन का विवाह बहुत धूमधाम से किया। आश्रम में लौटकर तीनों शिष्यों ने पूरी कहानी बताई तथा गुरु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहा। गुरु जी ने सभी को समझाया कि ऊपर वाले ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखो वह जरूर मदद करता है ।

इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ऊपर वाले पर भरोसा हो तो वह हमेशा अच्छा करता है, किसी का बुरा नहीं होने देता।

❑ ❑ ❑

हिंदी गृह पत्रिका रश्मि के 34 वें अंक के विमोचन समारोह की झलकियाँ

रश्मि के 34 वें अंक का विमोचन महालेखाकार महोदय द्वारा राजभाषा अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में महालेखाकार महोदय के कक्ष में दिनांक 31-10-2022 को किया गया।

पत्रिका का ई–संस्करण कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–।।, महाराष्ट्र, नागपुर की कार्यालयीन वेबसाइट www.cag.gov.in/ag/nagpur/en पर निम्न पाथ (path) पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है : कार्य–प्रशासन–राजभाषा–हिंदी पत्रिका रश्मि (Function-Administration-Rajbhasha-Hindi Magazine Rashmi).

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारू रूप से जारी है।

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार वर्ष 2022-23 की विगत तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रेषित किया गया। विभिन्न अनुभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अनुभागों को अपेक्षित सुधार करने को कहा गया।

जुलाई-सितंबर, 2022 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक- 15.12.2022 को एम. एस. टीम्स एप के माध्यम से आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यालय में राजभाषा का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु वर्ग-क में से ए.एम.जी.-II समूह-11 अनुभाग तथा वर्ग-ख में से डी.पी. सेल वित्त-I अनुभाग को महालेखाकार चल शील्ड प्रदान किया गया।

अक्टूबर-दिसंबर, 2022 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2023 को एम. एस. टीम्स एप के माध्यम से आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यालय में राजभाषा का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु वर्ग-'क' में से कानून और व्यवस्था समूह (मुख्यालय) तथा वर्ग-'ख' में से विधि/ए.पी.ए.आर./आर.टी.आई अनुभाग को महालेखाकार चल शील्ड प्रदान किया गया।

हिंदी कार्यशाला

कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा कार्यान्वयन को सरल एवं सहज बनाने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अक्टूबर-दिसंबर, 2022 की कार्यशाला दिनांक 01.12.2022 एवं 02.12.2022 तथा जनवरी-मार्च, 2023 की कार्यशाला दिनांक 23.02.2023 एवं 24.02.2023 को आयोजित की गई।

वार्षिक स्नेह सम्मेलन वर्ष 2022-23

वार्षिक स्नेह सम्मेलन वर्ष 2022-23

रश्मि 35वाँ अंक

लेखापरीक्षा के पन्नों से

''सतह सिंचाई परिणाम'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दु :

महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में 308 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और अरब सागर के साथ इसकी लगभग 720 कि.मी. की तटरेखा है। यह राज्य उष्णकटिबंधीय मानसून तथा अर्ध-शुष्क जलवायु वाला है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 400 से 6000 मि.मी. के बीच होती है । राज्य का लगभग 42.5 प्रतिशत क्षेत्र सूखा संभावित है ।

राज्य में जल संसाधनों की वार्षिक उपलब्धता लगभग 198 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 164 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और 34 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल है। राज्य का क्षेत्र पाँच प्रमुख नदी घाटियों अर्थात् गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी और पश्चिम वाहिनी नदी घाटियों से आच्छादित है। विभिन्न अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों, ट्रिब्यूनल निर्णय/समझौतों और पानी के बँटवारे पर निर्णयों के कारण, राज्य के पास लगभग 126 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल संसाधनों का सीमित उपयोग है, जिसमें से 69 बिलियन क्यूबिक मीटर (55 प्रतिशत) पश्चिम वाहिनी नदी घाटियों से है। इस क्षेत्र का कृषि योग्य क्षेत्र बहुत सीमित (10.6 प्रतिशत) है, जिसमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच 50 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी शामिल है। उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से बाकी घाटियों से अलग होने के कारण, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के घाटियों में उपलब्ध पूरे पानी का न तो स्थानीय रूप से उपयोग किया जा सकता है और ना ही अन्य घाटियों में आर्थिक दृष्टि से भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ, शेष चार नदी घाटियाँ, जिनमें कुल कृषि योग्य क्षेत्र 89.4 प्रतिशत है, उनको जल संसाधनों का केवल 45 प्रतिशत प्राप्त है। इन बाधाओं के कारण, राज्य का लगभग 42.50 प्रतिशत क्षेत्र, अभाव या अति- अभाव वाले सब-बेसिन के अंतर्गत आता है। इसलिए राज्य में सतही जल का समुचित उपयोग महत्वपूर्ण है। राज्य में कार्यान्वित छः सतह सिंचाई परियोजनाओं में प्राप्त परिणामों का आकलन करने के लिए सतह सिंचाई परिणाम पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गयाः

- जल संसाधन विभाग द्वारा छ: परियोजनाओं में से किसी के लिए भी पानी की उपलब्धता और अंतर-राज्यीय मामलों के बारे में केंद्रीय जल आयोग से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गयी थी ।
- कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई और प्रशासनिक स्वीकृतियों में कई संशोधनों के कारण परियोजनाएं लंबे समय तक निर्माणाधीन रहीं। दरों की सूची में परिवर्तन, भूमि की लागत में वृद्धि, डिजाइन और कार्यों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सभी परियोजनाओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- तीन परियोजनाओं में, अव्यवहार्य लाभ लागत अनुपात के बावजूद संशोधित अनुमोदन प्रदान किए गए ।
- सिंचाई क्षमता उत्पादन (आई.पी.) का लक्ष्य छ: में से किसी भी परियोजना में हासिल नहीं किया जा सका और सिंचाई क्षमता उत्पादन के अनुमानित और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर 3.20 से 43.56

प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2014-15 से 2020-2021 की अवधि के दौरान वास्तव में सृजित आई.पी. का उपयोग भी अपर्याप्त था, जो शून्य से 85.94 प्रतिशत रहा।

- सभी छः परियोजनाओं में, तीनों मौसमों में भूमि के लक्ष्य क्षेत्र की सिंचाई में काफी कमी पायी गयी। सभी मौसमों के दौरान, इन परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में कृषि क्षमतापरक नहीं थी जैसा कि उनकी संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में दर्शाया गया।

- चयनित परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के तहत वास्तविक फसल पद्धति, डी.पी.आर. में प्रस्तावित फसल पद्धति, फसलों की विविधता और कृषि योग्य क्षेत्र के संदर्भ में भिन्न थी ।

- अनुमानित कृषि उपज तथा वास्तविक कृषि उपज के मूल्य में अंतर था । डी.पी.आर. में नियोजित योजना के अनुसार, सिंचाई के अभाव में फसल का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सका।

- नहर प्रणाली के भौतिक निरीक्षण के दौरान , छः में से दो परियोजनाओं (अंधाली और वाघोलीबूटी एल आई एस प्रोजेक्ट्स) में यह पाया गया कि संबंधित प्रबंधन प्रभाग द्वारा रखरखाव खराब था ।

- संबंधित अवधि के दौरान, अंधाली, पिंपलगांव (ढाले) तथा वाघोलीबूटी परियोजनाओं के तहत सर्वेक्षण किए गए 12 गांवों के 66 किसानों को नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं की गई थी। हरनघाट और सोंदयाटोला परियोजनाओं के तहत सर्वेक्षण किए गए 16 गांवों के 53 किसानों को नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति केवल खरीफ सीजन में की गयी थी।

- किसानों द्वारा जल उपभोक्ता संघों (डब्लू यू ए) का गठन/कार्यान्वयन न किए जाने से सहभागी सिंचाई प्रबंधन का उद्देश्य विफल हो गया।

- वर्ष 2020-21 के अंत तक 7.67 करोड़ रूपये का जल उपकर बकाया था।

योगदानकर्ता – श्री. वी. जी. जैनाबादकर,
व. ले. प. अ.
तथा उनका लेखापरीक्षा दल

राजभाषा हिंदी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग–17

अध्याय 1 – संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

   परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ–भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210 : विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान–मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

   परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा–

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

   a. अंग्रेजी भाषा का, या

   b. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति–

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

   a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

   b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

   c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

   d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

   e. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

.4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं–

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा–

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध–

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा–

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा

   उपबंध न करे तब तक––

   a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

   b. i. संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में

पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया–

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 – विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं–

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी –

1. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

   राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश –

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

स्त्रोत – rajbhasha.gov.in

❑ ❑ ❑

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।

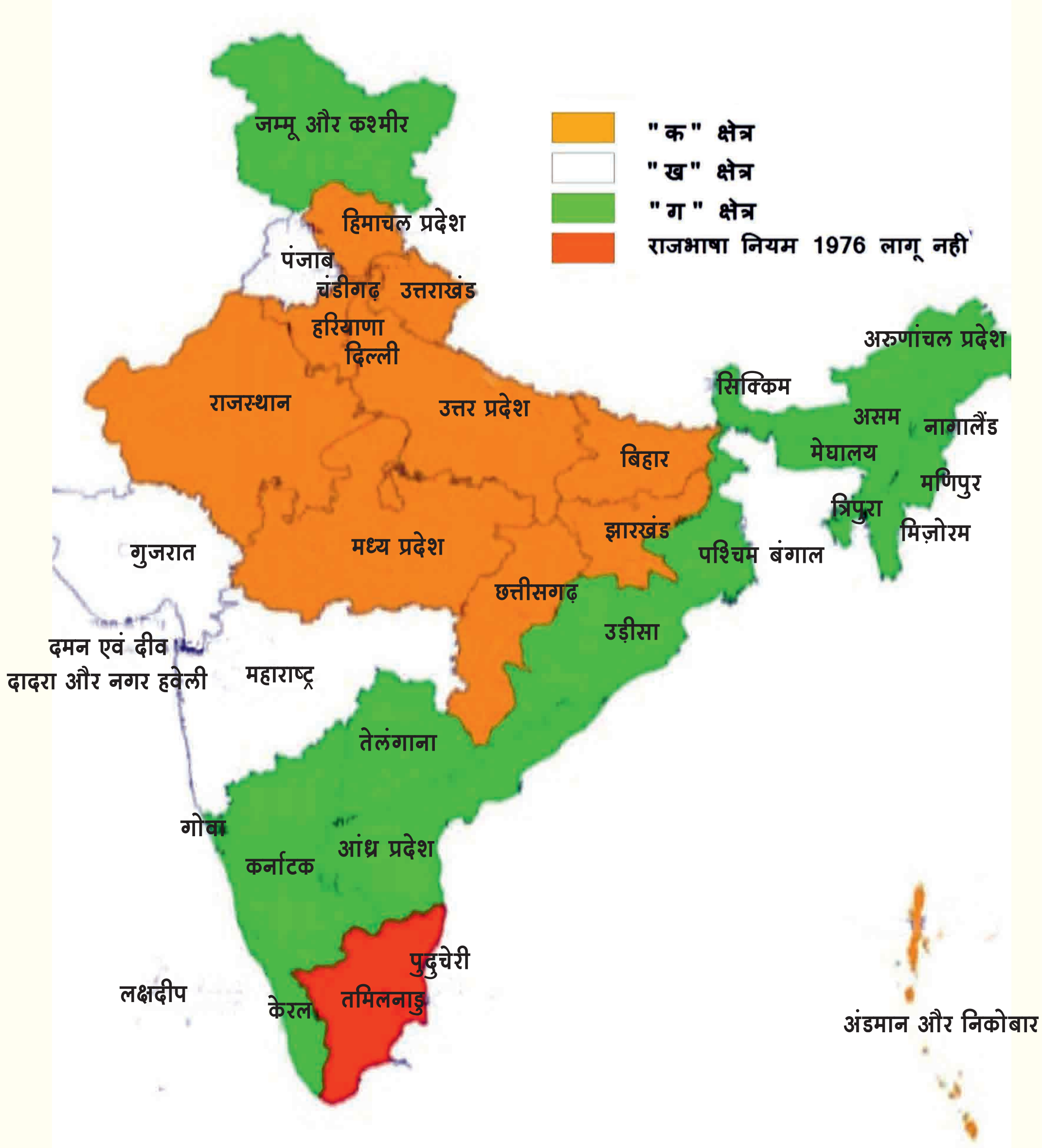

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड़, राज्स्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य हैं।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

स्त्रोत : rajbhasha.gov.in